

प्रेषक,

आयुक्त,
झाँसी मण्डल,
झाँसी।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली-110001

संख्या-985/26-विकास सहायक- (2021-22) दिनांक 02/04/2022
विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा OA संख्या-165/2021 गिरिजा शंकर राय एवं अन्य
बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25-01-2022 के
अन्तर्गत गठित समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण उपरान्त आख्या का प्रेषित किया जाना।

महोदय,


उपरोक्त सम्बन्ध में अनुरोध करना है कि OA संख्या-165/2021 गिरिजा शंकर राय
एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25-01-2022 के अन्तर्गत
गठित समिति द्वारा अभिलेखों का परीक्षण किया गया तथा स्थलीय निरीक्षण दिनांक 29-03-2022
को किया गया है। समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण व अभिलेखों के आधार पर आख्या तैयार मा0
राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों
से कतिपय सूचनाएं यथा लक्ष्मी तालाब के पानी के नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट तथा STP के सीवेज
के नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त होनी है, जिसमें एक सप्ताह का समय लगने की सम्भावना है। इसके
अतिरिक्त कुछ अन्य बिन्दुओं पर भी अध्ययन व परीक्षण किया जाना है जिसमें दो से तीन माह का
समय लगने की सम्भावना है। इस प्रकरण में अन्तरिम आख्या तैयार की गयी है जो साध में संलग्न
कर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रेषित की जा रही है।

प्रकरण में अन्तिम आख्या तैयार किये जाने हेतु तीन माह का समय लगने की सम्भावना
है अतएव अनुरोध है कि कृपया अन्तरिम आख्या को मा0 पीठ के सक्षम नियत तिथि 04-04-2022
को प्रस्तुत करते हुए अन्तिम आख्या तैयार कर प्रस्तुत किये जाने हेतु पर्याप्त समय प्रदान किये जाने
हेतु अनुरोध करने का कष्ट करें।

संलग्नक-अन्तरिम आख्या।

भवदीय


(डॉ0 डी0के0 सोनी) 21/4/22

वैज्ञानिक-ई,


प्रतिनिधि

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।

(सदस्य/नोडल एजेंसी)

भवदीय,


(अजय शंकर पाण्डेय)
आयुक्त,
झाँसी मण्डल, झाँसी
(सदस्य/नोडल एजेंसी)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर OA संख्या-165/2021 गिरिजा शंकर राय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25-01-2022 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण उपरान्त अन्तरिम आख्या का प्रेषित किया जाना :

अन्तरिम आख्या

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष लक्ष्मीताल एवं उसके समीप की नगर पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में OA संख्या-165/2021 गिरिजा शंकर राय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 12-07-2021 को आदेश पारित करते हुए अपर मुख्य सचिव, नगर विकास उ0प्र0 शासन के माध्यम से अपेक्षा की गयी थी कि जिलाधिकारी, झाँसी; नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी; उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण एवं अन्य अधिकारियों के साथ प्रकरण में निरीक्षण करेंगे तथा आख्या तैयार करेंगे। जिलाधिकारी, झाँसी की समिति द्वारा तैयार की गयी आख्या को अपर मुख्य सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस प्रकरण में जिलाधिकारी, झाँसी की आख्या दिनांक 22-10-2021 अपर मुख्य सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई है।

जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा अपर मुख्य सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन के माध्यम से प्रस्तुत की गयी आख्या पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 25-01-2022 को सुनवाई की गयी। अपर मुख्य सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन एवं जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा प्रस्तुत की गयी आख्या के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा सुनवाई करते हुए अपने आदेश दिनांक 25-01-2022 में इन आख्याओं के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दु इंगित किये गये हैं। आवेदकगण द्वारा भी जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा प्रस्तुत आख्या के सम्बन्ध में आपत्ति करते हुए कहा गया कि जिलाधिकारी, झाँसी की आख्या त्रुटिपूर्ण है तथा तथ्यों पर आधारित नहीं है। यह भी कहा गया कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है।

उक्त आख्याओं पर सुनवाई के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 25-01-2022 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, झाँसी एवं अपर मुख्य सचिव, नगर विकास उ0प्र0 शासन द्वारा प्रस्तुत आख्याओं के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक समिति गठित करते हुए निम्नवत् आदेश निर्गत किये गये हैं :-

"In the above backdrop of the facts, we find it appropriate to have an affirmation of factual report from a Committee comprising of different authorities and, therefore, we constitute a joint Committee comprising of MoEF&CC, CPCB, Department of Agriculture, UP, Department of Forest & Environment, UP and Divisional Commissioner, Jhansi, shall make spot inspection, examine relevant records and submit a factual report within two months, CPCB and Divisional Commissioner, Jhansi will be the nodal agency for coordination and compliance. First meeting of Committee shall be held within 15 days.

On the next day of hearing, Municipal Commissioner, Jhansi; Vice Chairman, Jhansi Development Authority; District Magistrate, Jhansi; Divisional Commissioner, Jhansi and Additional Chief Secretary, Urban Development, UP, shall also remain present in virtual mode.

sh.

sh

sh

sh

A copy of this order be forwarded to the Municipal Commissioner, Jhansi; Vice Chairman, Jhansi Development Authority; District Magistrate, Jhansi; Divisional Commissioner, Jhansi and Additional Chief Secretary, Urban Development, UP by email.

List for further consideration on 04.04.2022."

उपरोक्त आदेश में निर्देश दिये गये हैं कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित समिति की बैठक 15 दिवस में आहूत की जाय तथा समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं सुसंगत अभिलेखों का परीक्षण करते हुए आदेश पारित होने के दो माह के अन्दर लक्ष्मी तालाब एवं इसके निकट नगर पार्क की भूमि के सम्बन्ध में तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत की जाय। यह भी निर्देश दिये गये कि मण्डलायुक्त, झाँसी मण्डल एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस प्रकरण में नोडल एजेंसी होंगे।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन में मण्डलायुक्त सभागार, झाँसी में दिनांक 25-02-2022 को समिति की बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी।
2. डॉ0 डी0के0 सोनी, वैज्ञानिक-ई, प्रतिनिधि-केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ (वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग)।
3. डॉ. सत्या, वैज्ञानिक-ई, प्रतिनिधि,-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ (वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग)।
4. संयुक्त कृषि निदेशक, झाँसी मण्डल, झाँसी, प्रतिनिधि-कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी, प्रतिनिधि-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश।

उक्त के अतिरिक्त निम्न अधिकारीगण बैठक में उपस्थित रहे :-

1. जिलाधिकारी, झाँसी।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी।
3. उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी।

उक्त बैठक में समिति द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 25-01-2022 के अनुपालन में पर्याप्त विचार-विमर्श किया गया तथा स्थलीय निरीक्षण हेतु दिनांक 14-03-2022 की तिथि नियत की गयी। इस तिथि को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि डॉ0 डी0के0 सोनी, वैज्ञानिक-ई मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्य महत्वपूर्ण प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण हेतु व्यस्त हो जाने के कारण समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखों के निरीक्षण हेतु दिनांक 29-03-2022 की तिथि नियत की गयी।

स्थल निरीक्षण एवं अभिलेखों के परीक्षण हेतु नियत तिथि 29-03-2022 को मण्डलायुक्त सभागार, झाँसी में समिति के निम्न सदस्य उपस्थित हुए :-

1. आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी।
2. डॉ0 डी0के0 सोनी, वैज्ञानिक-ई, प्रतिनिधि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।

Sec.

Sh

Secy
A
Jc

3. डॉ. सत्या, वैज्ञानिक-ई, प्रतिनिधि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
4. संयुक्त कृषि निदेशक, झाँसी मण्डल, झाँसी, प्रतिनिधि-कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी, प्रतिनिधि-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश।

इन सदस्यों के अतिरिक्त, जिलाधिकारी, झाँसी; नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी; उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण; सहायक महानिरीक्षक, स्टाम्प, झाँसी, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी ने आवश्यक अभिलेखों व सूचनाओं के साथ बैठक में प्रतिभाग किया गया।

बैठक की उपस्थिति का विवरण-संलग्नक-1 अवलोकनीय है।



Photo 1 : Meeting of committee members with others at Sabhagaar, Jhansi division on 29.03.2022

निरीक्षण से पूर्व समिति के सदस्यों द्वारा सुसंगत अभिलेखों के निरीक्षण के साथ ही स्थलीय निरीक्षण हेतु बिन्दुओं के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त सभागार, झाँसी में बैठक के दौरान चर्चा की गयी तथा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 29-03-2022 को सम्बन्धित स्थलीय निरीक्षण किया गया।

इस प्रकरण में समिति द्वारा सुसंगत अभिलेखों के परीक्षण एवं किये गये स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त तथ्यात्मक आख्या (अन्तरिम) तैयार की गयी, जो निम्नवत् है :-

- A- लक्ष्मी तालाब के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों तथा आवेदकगण द्वारा जिलाधिकारी, झाँसी की आख्या के सम्बन्ध में की गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में यथा उपलब्ध अभिलेखों की जांच की गयी व स्थलीय निरीक्षण किया गया।

Sec.

Sh

[Signature]

[Signature]

[Signature]






Photo 4 & 5: Visit of Hon'ble NGT Team & discussion with other officers

लक्ष्मी तालाब के सम्बन्ध में समिति की स्थलीय निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

- (i) मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-01-2022 में अपर मुख्य सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन एवं जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कथित रूप से एकरूपता न होने के सम्बन्ध में इंगित किया गया है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा इस प्रकरण की प्रथम status Report दिनांक 22-10-2021 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रस्तुत की गयी थी उस समय 26 MLD STP क्रियाशील नहीं था तथा द्वितीय status Report दिनांक 16-12-2021 को उक्त STP क्रियाशील हो जाने के उपरान्त अपर मुख्य सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रेषित की गयी जोकि अद्यतन है। जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा प्रस्तुत दोनों आख्याओं में दो माह का अन्तराल होने से मौके पर 26 MLD STP के क्रियाशील हो जाने के कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष जिलाधिकारी, झाँसी की पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 22-10-2021 प्रस्तुत हुई है तथा अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 की आख्या दिनांक 26-12-2021, जो जिलाधिकारी, झाँसी की 16-12-2021 की status Report पर आधारित है, प्रस्तुत हुई है। इस प्रकार दोनों आख्याओं में 02 माह का अन्तराल होने के कारण वस्तुस्थिति में परिवर्तन हो गया है। जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा प्रस्तुत दोनों आख्याओं एवं अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित आख्या में कोई विरोधाभास नहीं है।

See ^{sh}   Page 5 of 61

(ii) नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी के अनुसार वर्तमान में झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा लक्ष्मी तालाब का विकास एवं उसके सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। लक्ष्मी तालाब परियोजना का मुख्य उद्देश्य लक्ष्मी तालाब में गिरने वाले दूषित जल को रोकते हुये उसका विकास करना तथा आस-पास के क्षेत्र का सौन्दर्यीकरण का कार्य करना है जिससे इस तालाब की ओर जन मानस आकर्षित हों एवं मानव जीवन हेतु वातावरण की गुणवत्ता में सुधार हो। लक्ष्मी तालाब परियोजना अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में मुख्य कार्य निम्नवत् हैं-

- लक्ष्मी तालाब की परिधि के साथ गारलैण्ड चैनल का निर्माण किया जा रहा है। यह व्यवस्था स्टार्म वाटर के प्रभावी प्रबंधन हेतु की जा रही है। यह व्यवस्था एस0टी0पी0 की व्यवस्था के अतिरिक्त की जा रही है।
- लक्ष्मी तालाब की चाहरदीवारी का कार्य, पाथे-वे, सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था, बैठने हेतु बेंच आदि की व्यवस्था।
- प्रवेश द्वार, पार्किंग की व्यवस्था, बोटिंग डेक, खान-पान हेतु दुकानें, 4 स्थान जहाँ से लक्ष्मी तालाब की सुन्दरता को देखा जा सके।
- पार्क एवं भूदृश्य का निर्माण कार्य।
- लक्ष्मी तालाब में विभिन्न प्रकार की मछलियों का पालन, जलीय पौधों का लगाया जाना तथा जलीय तंत्र का विकास।
- लभभग 20-25 व्यक्तियों की क्षमता वाली वॉटरबोट की व्यवस्था।
- लक्ष्मी तालाब एवं विकास किये गये क्षेत्र को घूमने हेतु ई-वाहन आदि की व्यवस्था।
- लेजर लाईट, साउण्ड शो आधुनिक प्रकाश लाइटों आदि का निर्माण कार्य।

समिति द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण में पाया गया कि वर्तमान में लक्ष्मी तालाब में कोई भी अशोधित सीवेज प्रवाहित नहीं हो रहा है। माह अगस्त, 2021; सितम्बर 2021 एवं फरवरी 2022 में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गयी गुणवत्ता जांच आख्या संलग्नक-2 के तुलनात्मक परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि लक्ष्मी तालाब के जल की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है, फिर भी यह पानी स्नान जल के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता (G.S.R. 742(E), 2000) के मानदंड वर्गीकरण के अनुसार नहाने योग्य नहीं है।

(iii) लक्ष्मी तालाब के जल की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए समिति द्वारा दिनांक 29.03.2022 को क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा उचित पैरामीटर के नमूने संग्रहीत कराये गये जिनकी जांच रिपोर्ट 07 दिवस में प्राप्त होना अपेक्षित है।

(iv) समिति के सदस्यों द्वारा लक्ष्मी ताल के भ्रमण के दौरान पाया गया कि स्मार्ट सिटी, झाँसी लिमिटेड द्वारा संचालित परियोजना का कार्य प्रगति में था और इनके द्वारा लक्ष्मी ताल के चारों तरफ गार्लैण्ड चैनल बनाए जा रहे हैं जिसके कारण आस पास के आबादी क्षेत्र का जल अथवा घरेलू उत्स्राव लक्ष्मी ताल में मिलने की संभावना नगण्य हो जायेगी। समिति के सदस्यों के द्वारा भौतिक निरीक्षण के दौरान तालाब में यह पाया गया कि किसी प्रकार का कोई आबादी क्षेत्र का जल-मल अथवा घरेलू

SH
See. [Signature] [Signature]
[Signature]

उत्स्राव इस तालाब में मिलता हुआ नहीं देखा गया। किन्तु इस तालाब का पानी घरेलू उपयोग अथवा जानवरों को नहलाने में हो रहा है।




Photo 6: Garland Channel around Laxmital is being constructed

- (v) लक्ष्मी तालाब की भूमि की पैमाईश तथा अनाधिकृत अतिक्रमण के सम्बन्ध में आवेदकगण द्वारा उठायी गयी आपत्ति के सम्बन्ध में अभिलेखों का परीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त समिति द्वारा पाया गया कि लक्ष्मी तालाब की कुल भूमि का रकवा वर्ष 1359 फसली के अनुसार 33.068 हेक्टेयर है तथा वर्तमान में भी राजस्व अभिलेखों में 33.068 हेक्टेयर अंकित है। तालाब की भूमि की पैमाईश राजस्व विभाग के माध्यम से करायी गयी है। पैमाईश के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, सदर झाँसी द्वारा अपनी सीमांकन आख्या जिलाधिकारी, झाँसी को प्रस्तुत की गयी है जिसकी प्रति समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। समिति द्वारा संलग्न आख्या का मौके पर सत्यापन किया गया। लक्ष्मी तालाब की भूमि की पैमाईश DGPS/टोटल स्टेशन सर्वे के माध्यम से भी करायी गयी है जिसके अनुसार भी लक्ष्मी तालाब का कुल रकवा 33.068 हेक्टेयर है एवं अतिक्रमित रकवा 0.258 हेक्टेयर है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, झाँसी की रिपोर्ट संलग्नक-3 अवलोकनीय है।
- (VI) लक्ष्मी तालाब की भूमि में अतिक्रमित रकवे में 7 पुराने छोटे मंदिर रकवा 0.088 हे० तथा 1 मजार रकवा 0.170 हे० कुल रकवा 0.258 हे० स्थित हैं। यह निर्माण अत्यन्त पुराने हैं तथा स्थानीय निवासियों की धार्मिक आस्था इन निर्माणों से जुड़ी हुई है। समिति के सदस्यों का इस बिन्दु पर यह विचार है कि इन निर्माणों को हटाने से कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जिलाधिकारी, झाँसी के माध्यम से प्राप्त उपजिलाधिकारी, झाँसी की सीमांकन आख्या की प्रति संलग्न की जा रही है। संलग्नक-3 अवलोकनीय है।

See sh
[Handwritten signatures and initials]

लक्ष्मी तालाब की भूमि के अतिक्रमण से सम्बन्धित निर्माणों के कुछ फोटोग्राफ्स निम्नवत् हैं:-




Photo 7: Encroachment within the Laxmi tal




Photo 8: Encroachment (Dattatreya Temple) within the Laxmi tal




Photo 9: Encroachment (Majaar) within the Laxmi tal

see. sh
AA

1
Laxmi
tal




Photo 10: Encroachment (Majaar) within the Laxmi tal

समिति द्वारा स्थल निरीक्षण व अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया है लक्ष्मी तालाब की भूमि का सीमांकन जिलाधिकारी, झाँसी की टीम द्वारा कराया गया है तथा अतिक्रमणों को चिन्हित करते हुए दो पक्के निर्माण जो श्री मनीराम पुत्र बाबूलाल रायकवार व श्री जितेन्द्र पुत्र बाबूलाल रायकवार के बने पाये गये थे जिन्हें हटवाकर तालाब को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है।



Photo 11: removal of encroachment in Laxmital-1

su
 sh
 [Handwritten signature]
 su




Photo 12 : removal of encroachment in Laxmital-2

- (VI) लक्ष्मी तालाब में गिरने वाले नालों को डाईवर्ट करके उनके जल को शुद्ध करने हेतु 26 MLD क्षमता का एक जल मल शोधन संयंत्र (STP) वर्तमान में क्रियाशील है जिसका समिति द्वारा निरीक्षण किया गया। मौके पर श्री हिमांशु नेगी, परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई/STP उपस्थित रहे। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 8-10 MLD सीवेज का शुद्धीकरण हो रहा है। समिति द्वारा STP की कार्य क्षमता के मापदंड हेतु इनलेट पर प्राप्त होने वाले सीवेज एवं आउटलेट पर शोधित सीवेज का नमूना लिया गया एवं जांच हेतु भेजा गया है जिसकी जांच रिपोर्ट 6-7 दिवस में प्राप्त हो जायेगी। उपस्थित परियोजना प्रबन्धक से वार्तालाप करने पर उन्होंने अवगत कराया गया कि STP से शोधित सीवेज की BOD, COD & TSS एवं pH मानक के अनुसार है, उनके द्वारा इस सम्बन्ध में लेब टेस्ट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी है जिसे समिति द्वारा अवलोकित किया गया है। संलग्नक-4 अवलोकनीय है। वार्तालाप के दौरान नगर आयुक्त, नगर निगम, झांसी ने बताया कि STP के द्वारा शोधित किए गए पानी की 4 MLD की मात्रा सीधे लक्ष्मी ताल में डाली जाएगी ताकि उसमें पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहे एवं पर्याप्त मात्रा में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाए रखे। स्मार्ट सिटी के द्वारा किया जा रहा सौंदर्यीकरण का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है अतः वर्तमान में शोधित जल का भराव तालाब में नहीं किया जा रहा है।

Sec. ^{sh} AA Laxmi
ju



Photo 13 : 26 MLD STP operated by Jal Nigam




Photo 14: SBR tank of the STP

See . ^{sh} Lead
AA Lead
ha




Photo 15: SBR tank of STP





Photo 16: Water sample of inlet(untreated wastewater) taken during visit

(B) लक्ष्मी तालाब के निकट नगर पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण :-

- (i) समिति द्वारा झांसी महायोजना-2021 में लक्ष्मी तालाब के निकट नगर पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया गया। नगर पार्क के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि लक्ष्मी तालाब के

see ^{sh} 

निकट नगर पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि का कुल क्षेत्रफल 170.48 हे० है, इसमें 44.74 हे० भूमि सरकारी भूमि है तथा 125.74 हे० निजी काश्तकारों की है। सरकारी भूमि पर नारायण बाग के नाम से नगर पार्क विकसित है। निजी काश्तकारों की भूमि का अधिग्रहण धनाभाव के कारण प्राधिकरण द्वारा अभी तक नहीं किया जा सका है। इसलिए निजी काश्तकारों की भूमि पर नगर पार्क का वांछनीय विकास नहीं हो सका है। महायोजना-2021 जो कि दिनांक 04-01-2005 से प्रभावी है, जिसमें उक्त भूमि नगर पार्क हेतु प्रस्तावित की गयी है। यह भूमि लक्ष्मीताल के निकट उड़ियापुरा, पिछोर एवं तालपुरा राजस्व ग्रामों में है।

उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि लक्ष्मी तालाब के निकट नगर पार्क की निजी काश्तकारों की भूमि रकवा 125.74 हेक्टेयर में से 100.42 हेक्टेयर पर वर्ष 1970 से लेकर अबतक आबादी विकसित हो जाने के कारण इस स्थल पर नगर पार्क बनाया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। नगर पार्क हेतु प्रस्तावित कुल रकवा 170.48 हेक्टेयर में से 125.74 हेक्टेयर निजी काश्तकारों की है इनमें से रकवा 25.32 हेक्टेयर भूमि रिक्त है जो अलग-अलग टुकड़ों स्थित है जिस कारण इसको अर्जित करके नगर पार्क बनाया जाना व्यवहारिक नहीं है।

उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि निजी काश्तकारों की उक्त भूमि पर महायोजना 2021 में नगर पार्क प्रस्तावित किया गया था। यह महायोजना दिनांक 04-01-2005 से प्रभावी है तथा 17 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। स्थानीय निवासीगण उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-54 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत लगातार इस भूमि को अवमुक्त कराये जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में समिति को प्रार्थना पत्रों की प्रतियाँ उपलब्ध करायीं गयीं जो संलग्नक-5 अवलोकनीय है। उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-54 निम्नवत् पठनीय है :-


"54. कतिपय मामलोंमें योजना को उपान्तरित किया जाएगा-(1) जहाँ विकास क्षेत्र में स्थित किसी भूमि की महायोजना या आंचलिक विकास द्वारा खुले क्षेत्र के रूप में या उस पर अनिर्मित रूप में रखे जाने की अपेक्षा की जाती है या किसी ऐसी योजना में अनिवार्य अर्जन के विषय के रूप में परिकल्पित की जाती है, वहाँ यदि धारा 12 के अधीन योजना के प्रवर्तन में आने की तारीख से दस वर्ष के पर्यवसान पर या जहाँ ऐसी भूमि ऐसी योजना के संशोधन द्वारा इस प्रकार अपेक्षित या अभिकल्पित है, वहाँ धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन ऐसे संशोधन के प्रवर्तन में आने की तारीख से भूमि अनिवार्य रूप से अर्जित नहीं की जाती वहाँ भू-स्वामी राज्य सरकार पर इस प्रकार अर्जित की जाने वाली भूमि में अपने हित की अपेक्षा करते हुए नोटिस तामील करेगा।

sh
see. AB
Page 13 of 61
he

(2) यदि राज्य सरकार नोटिस की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर ऐसी भूमि अर्जित करने में असफल रहती है, तो महायोजना या, यथास्थिति आंचलिक विकास का उक्त छः मास के पर्यवसान के बाद यह प्रभाव होगा मानो भूमि खुले स्थान के रूपमें या उस पर निर्माण न होने के रूप में अर्जित नहीं की गयी थी या अनिवार्य अर्जन के विषय के रूप में अभिकल्पित नहीं थी।" संलग्नक-6 अवलोकनीय है।

समिति के स्थलीय निरीक्षण के समय भी स्थानीय निवासियों द्वारा धारा-54 के अन्तर्गत निजी भू-स्वामित्व की भूमि को अवमुक्त किये जाने की प्रार्थना इस आधार पर की गयी कि लगभग 17 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी प्राधिकरण अथवा राज्य सरकार द्वारा नगर पार्क विकसित किये जाने हेतु भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका है। समिति द्वारा उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण से अपेक्षा की गयी कि इस सम्बन्ध में विधिक परीक्षण कर नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करें। उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 1970 से अबतक निजी काश्तकारों की इस भूमि पर आबादी बस जाने के कारण इस स्थान पर नगर पार्क विकसित किया जाना सम्भव नहीं है। प्राधिकरण के पास भूमि के अधिग्रहण हेतु धनराशि भी उपलब्ध नहीं है।

- (ii) उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि विकास प्राधिकरण की महायोजना 2031 का ड्राफ्ट तैयार है तथा इसमें 2325.69 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ग्रीन एरिया का प्रस्ताव किया गया है। जबकि महायोजना 2021 में प्रस्तावित ग्रीन एरिया 1280.62 हेक्टेयर है। प्राधिकरण द्वारा ड्राफ्ट मास्टर प्लान में ग्रीन एरिया का क्षेत्रफल पर्याप्त बढ़ाया गया है। इस प्रकार लक्ष्मीताल के निकट नगर पार्क की भूमि पर घनी आबादी का विकास हो जाने के कारण इस भूमि के सापेक्ष प्राधिकरण क्षेत्र में पर्याप्त भूमि ग्रीन एरिया के रूप में आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2031 में किया गया है। ग्रीन एरिया के प्रस्तावित क्षेत्रफल के सम्बन्ध में सहयुक्त नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सम्भागीय नियोजन खण्ड, झांसी की आख्या संलग्नक-7 अवलोकनीय है। समिति द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण स्थानीय नागरिकों की मांग का सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत परीक्षण कर लें तथा इस सम्बन्ध में विधि एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुरूप कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- (iii) लक्ष्मी तालाब के निकट नगर पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि पर वर्ष 1970 से अबतक निर्माण होना अवगत कराया गया है। समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में भी पाया गया कि नगर पार्क हेतु प्रस्तावित निजी भूमि पर आबादी विकसित हो गयी है। उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण द्वारा इन निर्माणों का सर्वे किया जा रहा है। सम्पूर्ण क्षेत्र में 1000 से अधिक भवन निर्माण हो सकते हैं।

SM
by:  
ke

समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक दशा में 03 माह के अन्दर नगर पार्क की निजी काश्तकारों की भूमि पर अनाधिकृत निर्माणों का सर्वे कराकर सूचीबद्ध करें तथा इस सम्बन्ध में अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चत करें।




Photo 17 : Habitation with all amneties near Narayan park (private land) area which was earmarked as city park as per the Master plan 2021 (wef-04.01.2005)






Photo 18 : Habitation with all amneties near Narayan park (private land) area which was earmarked as city park as per the Master plan 2021 (wef-04.01.2005)

sh
she






Photo 19: Habitation with all amenities near Narayan park (private land) area which was earmarked as city park as per the Master plan 2021(wef-04.01.2005)






Photo 20 : Habitation with all amenities near Narayan park (private land) area which was earmarked as city park as per the Master plan 2021 (wef-04.01.2005)

See . ^{sh}   




Photo 21: Habitation with all amenities near Narayan park (private land) area which was earmarked as city park as per the Master plan 2021 (wef-04.01.2005)





Photo 22: Habitation with all amenities near Narayan park (private land) area which was earmarked as city park as per the Master plan 2021 (wef-04.01.2005)

उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट किया गया कि आवेदक द्वारा 198.38 हेक्टेयर क्षेत्रफल महायोजना-2021 पुस्तक के "वास्तविक विकास एवं महायोजना-2001 का मूल्यांकन शीर्षक" से नोट किया गया है जो महायोजना-2001 के लिए पठनीय है। जबकि

See. ^{Sh}   

आवेदक द्वारा इसी क्षेत्रफल को महायोजना-2021 में प्रस्तावित नगर पार्क का क्षेत्रफल मान रहा है। उसने अपनी आपत्ति में नगर पार्क की भूमि का मास्टर प्लान 2021 में रकवा 198.38 हेक्टेयर होना कहा गया है। जिलाधिकारी, झांसी की आख्या में उक्त रकवा 170.48 हेक्टेयर अंकित है। आवेदक द्वारा इस बिन्दु पर जिलाधिकारी, झांसी की आख्या को त्रुटिपूर्ण कहा गया है। उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण के अनुसार नगर पार्क का रकवा 170.48 हेक्टेयर है जो सही है, साक्ष्य स्वरूप GIS based सर्वे की रिपोर्ट संलग्नक-8 अवलोकनीय है। समिति द्वारा उपाध्यक्ष झांसी विकास प्राधिकरण से अपेक्षा की गयी कि नगर पार्क के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में एक बार पुनः परीक्षण कर लें जिससे सही रकवा ज्ञात हो सके।

समिति द्वारा नगर पार्क हेतु आरक्षित भूमि का निरीक्षण किया गया जिसमें 44.24 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर विकसित नगर पार्क को स्थानीय स्तर पर नारायण बाग के नाम से जाना जाता है। इस भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। निजीकाश्तकारों की भूमि में कराये गये सर्वे के अनुसार 25.32 हेक्टेयर भूमि अभी रिक्त है जिसको संरक्षित किया जा रहा है।




Photo 23: Open unoccupied land (private) which was earmarked as a city park area as per Master plan 2021 (wef-04.01.2005)



see.   



Photo24: Open unoccupied land (private) which was earmarked as a city park area as mer Master plan 2021 (wef-04.01.2005)



Photo 25: Open unoccupied land (private) which was earmarked as a city park area as mer Master plan 2021 (wef-04.01.2005)

[Handwritten signature]

see.

SH

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




Photo 26: Open unoccupied land (private) which was earmarked as a city park area as per Master plan 2021 (wef-04.01.2005)

उपाध्यक्ष झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि इस भूमि पर होने वाले अनाधिकृत निर्माण को रोकने हेतु प्राधिकरण द्वारा लगातार कार्यवाही की जाती है, जिसमें निर्माणकर्ता को उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्य रोकने के आदेश दिये जाते हैं तथा स्थानीय पुलिस के माध्यम से अनाधिकृत निर्माण को रूकवाया जाता है, जिसके वाबजूद भी निजी भू-स्वामियों के द्वारा स्वामित्व के आधार पर निर्माण कर लिया जाता है।

प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2017 से 2021 के मध्य संज्ञान में आये 115 प्रकरणों में कार्य रोकने के आदेश किये गये हैं तथा समस्त प्रकरणों में ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किये गये हैं। ध्वस्तीकरण से सम्बन्धित प्रकरणों की सूची संलग्नक-9 अवलोकनीय है। उपाध्यक्ष झांसी विकास प्राधिकरण के द्वारा अवगत कराया गया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन होने के कारण इस अवधि में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की गयी है, शीघ्र ही इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जानी है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विचाराधीन ओ.ए. संख्या 380/2018 Park Avenue Plot Holders Welfare Society & Anr. बनाम Union of India & Ors. एवं 999/2019 Dr. Ajay Kumar बनाम Union of India & Ors. में दिये गये निर्देश के क्रम में महानिरीक्षक, निबन्धन उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या 2582/सी०का०लख०/2020/विविधि (आर०के०एस०) दिनांक 27-11-2020 तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-168/आठ-3-20-206 विविध/18 टी०सी० दिनांक 19-02-2020 के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र संख्या 906/जे०डी०ए०/2021-22 दिनांक 07-02-2021 के माध्यम से उपनिबन्धक कार्यालय, झांसी को उक्त शासनादेशों में उल्लिखित नगर पार्क/प्रखण्डीय

[Handwritten signature]


[Handwritten initials and signatures]

पार्क/हरित पट्टी हेतु आरक्षित भूमि का विवरण भेजा गया है। इन निर्देशों से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्यवाही समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, जो निम्नवत् है:-

1. रिक्त भूमि पर निर्माण कार्य न होने देने तथा भूमि के विक्रय को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से इस आशय के बोर्ड रिक्त भूमि पर लगाये गये हैं कि भवन निर्माण करने हेतु इस आरक्षित भूमि को क्रय न किया जाय। मौके पर लगाये गये बोर्ड की फोटोग्राफ्स संलग्नक-10 अवलोकनीय है।
2. उप निबन्धक, स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग से अपेक्षा की गयी है कि प्राधिकरण क्षेत्र में बैनामों में गाटा संख्या, रकवा, मौजा एवं प्राधिकरण की महायोजना में अंकित भू-उपयोग अंकित किया जाये तथा शासनादेश व महानिरीक्षक, स्टाम्प के उक्त पत्र में उल्लिखित विवरण विक्रय विलेखों में दर्ज किया जाए। जिनको अंकित करने की कार्यवाही पंजीयन विभाग के स्तर से हो रही है। इस सम्बन्ध में सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, झांसी की आख्या दिनांक 29-03-2022 की प्रति संलग्नक-11 अवलोकनीय है।
3. विकास प्राधिकरण कार्यालय से महायोजना 2021 में लक्ष्मी तालाब के निकट प्रस्तावित नगर पार्क की इस भूमि की मौजावार तथा गाटावार सूची पंजीयन विभाग को उपलब्ध करायी गयी है तथा इन भू-उपयोगों को सजरा मानचित्र पर सुपर इम्पोज करते हुये सम्बन्धित मानचित्रों को प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है तथा उप निबन्धक कार्यालय, झांसी को कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

(iv) आवेदकगण द्वारा झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत आरोप लगाये गये हैं तथा अवैध निर्माणकर्ताओं से मिलीभगत होना कहा गया है। समिति के स्थलीय निरीक्षण के दौरान आवेदकगण से सम्पर्क नहीं हो सका अतएव इस बिन्दु पर साक्ष्य संकलन नहीं हो सका है। अन्तिम आख्या में इस सम्बन्ध में आवेदकगण एवं विकास प्राधिकरण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार आख्या/टिप्पणी अन्तिम आख्या प्रस्तुत की जायेगी। आवेदकगण द्वारा लगाये गये व्यक्तिगत आरोपों की पर्याप्त छानबीन सम्बन्धित अधिकृत विभाग द्वारा करवा कर समिति को उपलब्ध को करवाना उचित होगा ताकि उसे अंतिम आख्या में प्रस्तुत किया जा सकता है।


(v) समिति द्वारा उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये गये कि आवेदक श्री नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण OA No. 114/2021; Narendra Kushwaha v. State of Uttar Pradesh, में दाखिल किये गये 100 बैनामों की सूची प्राप्त कर प्रत्येक दशा में तीन माह में प्रत्येक बैनामे के सम्बन्ध में जांच कर अवगत कराये कि इन बैनामों के आधार पर निर्माण कार्य हुआ है अथवा नहीं। साथ ही यह भी अवगत कराया जाए कि महानिरीक्षक, निबन्धन उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 2582/सी0का0लख0/2020/विविधि (आर0के0एस0) दिनांक 27-11-2020 तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-168/आठ-3-20-206 विविध/18 टी0सी0 दिनांक 19-02-2020 के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन इन

See.    


बैनामों के सम्बन्ध में हुआ है अथवा नहीं। उक्त के सम्बन्ध में आख्या एक माह के अन्दर तैयार कर प्रस्तुत करें। झांसी जिले की जिला पर्यावरण प्रबन्धन योजना सम्बन्धित विभाग द्वारा बयाना जा चुका है एवं इसके क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है।


समिति द्वारा अन्तरिम आख्या विभिन्न अभिलेखों के परीक्षण कर के तथा स्थल पर निरीक्षण कर के तैयार की गयी है। लक्ष्मी तालाब की जल गुणवत्ता एवं सम्बन्धित STP के कार्यक्षमता का आँकलन सम्बन्धित दस्तावेजों को प्राप्त होने में समय लगने की अपेक्षा है। अतएव मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण से समिति का विनम्र अनुरोध है कि अन्तिम आख्या प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान किया जाये।


अन्तरिम आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।


(वी.के. मिश्रा) 21/4/2022
प्रभागीय वनाधिकारी,
प्रतिनिधि
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, उ0प्र0
(सदस्य)


(सुरेन्द्र सिंह चौहान)
संयुक्त कृषि निदेशक,
प्रतिनिधि
कृषि विभाग, उ0प्र0
(सदस्य)


(डॉ. सत्या)
वैज्ञानिक-ई,
प्रतिनिधि,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
लखनऊ।


(डॉ0 डी0के0 सोनी)
वैज्ञानिक-ई,
प्रतिनिधि
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।
(सदस्य/नोडल एजेंसी)


(अजय शंकर पाण्डेय)
आयुक्त,
झाँसी मण्डल, झाँसी
(सदस्य/नोडल एजेंसी)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या-165/2021 गिरिजा शंकर राय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25-01-2022 के अनुपालन में गठित समिति की बैठक दिनांक 29-03-2022 में प्रतिभागीगण की उपस्थिति :-

क्र0	नाम/पद नाम	मो0 नम्बर	हस्ताक्षर
1	डॉ. विनय पाण्डे - न्यायाधीश सिन्हा		
2	रविन्द्र कुमार जिम्माबिडाई		
3	अवनीश राय / नगर आयुक्त झांसी		 29.03.22
4	Dr. D. K. SONI Addl. Director CPCB Lucknow	9794996966	
5	DR Mrs. Salja, Addl. Director, HGFACC Lucknow	945321877	
6	V. K. Mishra. DFO Jhansi	7839435143	
7	सुरेन्द्र सिंह चौहान JDA Jhansi Agri. Dept.	7599002643	 29.03.22
8	प्रदीप सिंह AIG Jhansi	9935132668	
9	संजीव कुमार	9450382928	
10	सिद्धेश्वर मिश्रा सहायक SDA	9506034777	 29.3.22
11	निरंजन शर्मा इलाहाबाद अधिवक्ता उत्तर प्रदेश न्यायालय काठमांडू	7839891791	
12	रमेश कुमार नगर मजिस्ट्रेट	9454418936	
13	डा. के. अशोक कुमार	7376260012	
14	कमल भाव सिंह, फौजम.ली. झांसी	9639807030	
15			

Analysis report of Laxmi pond (August, 2021, September, 2021 and February, 2022)


Regional Laboratory Ph- 0510-2320473
email- rojhansi@uppcb.in
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
 AVAS VIKAS COLONY (TALPURA YOJNA)
 KANPUR ROAD, JHANSI

ANALYSIS REPORT

1. Name of the River/Pond : Laxmi Pond, Jhansi
 2. Sample collected by : Rishi Kushwaha (Lab Asstt.)
 : U.P. Pollution Control Board, Jhansi.
 3. Date of Sample Collection : 13.08.2021
 4. Sampling Point : Laxmi Pond, Near Om Shanti Nagar, Jhansi
 5. Sample Method : Grab

S.N.	Parameter's	Value in mg/Ltr.	Standard Limit
1.	Colour	Muddy	Colourless
2.	Odour	No Specific Odour	Odourless
3.	pH	6.85	7.0
4.	Dissolved Oxygen	4.2	4.0 mg/Ltr
5.	Biochemical Oxygen Demand (B.O.D. _{3,27°C})	15.00	3.0 mg/Ltr
6.	Chemical Oxygen Demand	19.32	250.0 mg/Ltr
7.	Total Dissolved Solid	548.00	1500.0 mg/Ltr
8.	Total Hardness (as CaCO ₃)	223.10	300-600 mg/Ltr
9.	Calcium Hardness (as CaCO ₃)	162.96	200.0 mg/Ltr
10.	Magnesium Hardness (as CaCO ₃)	60.00	75.0 mg/ Ltr
11.	Chlorides	40.00	250-1000 mg/ Ltr

Analysed By:


 (Arun Kumar Mishr)
 Assitant Scientific Officer
 U.P. Pollution Control Board, Jhansi


 (Niranjana Sharma)
 Regional Officer
 U.P. Pollution Control Board, Jhansi

Scanned by TapScanner



Regional Laboratory

Ph- 0510-2320473

email- rojhansi@uppcb.in

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

AVAS VIKAS COLONY (TALPURA YOJNA)


KANPUR ROAD, JHANSI


ANALYSIS REPORT

1. Name of the River/Pond : Laxmi Pond, Jhansi
 2. Sample collected by : Arun Kumar Mishr (Asstt. Scientific Officer)
 : U.P. Pollution Control Board, Jhansi.
 3. Date of Sample Collection : 20.09.2021
 4. Sampling Point : Laxmi Pond, Near Om Shanti Nagar, Jhansi
 5. Sample Method : Grab

S.N.	Parameter's	Value in mg/Ltr.	Standard Limit
1.	Colour	Muddy	Colourless
2.	Odour	No Specific Odour	Odourless
3.	pH	7.15	7.0
4.	Dissolved Oxygen	4.50	4.0 mg/Ltr
5.	Biochemical Oxygen Demand (B.O.D. _{3,27°C})	15.00	3.0 mg/Ltr
6.	Chemical Oxygen Demand	38.00	250.0 mg/Ltr
7.	Total Dissolved Solid	549.00	1500.0 mg/Ltr
8.	Total Hardness (as CaCO ₃)	260.00	300-600 mg/Ltr
9.	Calcium Hardness (as CaCO ₃)	170.00	200.0 mg/Ltr
10.	Magnesium Hardness (as CaCO ₃)	90.00	75.0 mg/ Ltr
11.	Chlorides	45.00	250-1000 mg/ Ltr

Analysed By:


 (Arun Kumar Mishr)
 Assitent Scientific Officer
 U.P. Pollution Control Board, Jhansi


 07/10/2021
 (Niranjan Sharma)
 Regional Officer
 U.P. Pollution Control Board, Jhansi

Scanned by TapScanner



Regional Laboratory

Ph- 0510-2320473

email- rojhansi@uppcb.in

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

AVAS VIKAS COLONY (TALPURA YOJNA)

KANPUR ROAD, JHANSI

ANALYSIS REPORT

1. Name and Address : Laxmi Pond, Narayan Bagh Jhansi.
 2. Sample collected by : Mr. Rishi Kushwaha (LA).
 3. Date of Sample Collection : 10.02.2022
 4. Sampling Point : Laxmi Pond.
 5. Sample Method : Grab.

S.N.	Parameter's	Value	Standards Limit
1.	Colour	Muddish	Colourless
2.	Odour	Odourless	Odourless
3.	pH	7.5	7.0
4.	Dissolved Oxygen	5.0	4.0 mg/Ltr
5.	Biochemical Oxygen Demand (B.O.D. _{5,20° C})	8.0	3.0 mg/Ltr
6.	Chemical Oxygen Demand	26.6	250.0 mg/Ltr
7.	Total Dissolved Solid	495.0	1500.0 mg/Ltr
8.	Total Hardness (as CaCO ₃)	300.0	300-600 mg/Ltr
9.	Calcium Hardness (as CaCO ₃)	210.0	200.0 mg/Ltr
10.	Magnesium Hardness (as CaCO ₃)	90.0	75.0 mg/Ltr
11.	Chlorides	30.0	250-1000 mg/Ltr

Analyzed By:

[Signature]
20/02/22
LA

[Signature]
28/03/22
JRF

Assistant Scientific Officer

[Signature]
28/03
Regional Officer

Scanned by TapScanner

Demarcation of Laxmital Land : Report by District Magistrate, Jhansi

53

प्रेषक, जिलाधिकारी,
झाँसी।

सेवा में,
प्रमुख सचिव,
नगर विकास,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

संख्या- 7/7-स०मू०अ०/पैमाइश/2021-22 दिनांक दिसम्बर 21, 2021
विषय- जनपद झाँसी में स्थित ऐतिहासिक "लक्ष्मी तालाब" की पैमाइश के सम्बन्ध में।

महोदय,
सादर अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या- 165/2021 गिरजा शंकर बनाम उ० प्र० राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 के अनुपालन हेतु पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक 16.12.2021 के द्वारा अवगत कराया गया है कि "लक्ष्मी तालाब" पूर्णतः आबादी से चारों तरफ घिरा हुआ है तथा लक्ष्मी तालाब के समस्त रकवों का सीमांकन टोटल स्टेशन सर्वे के माध्यम से किया जा रहा है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

तत्कम में अवगत कराना है कि टोटल स्टेशन मशीन द्वारा किये गये सीमांकन की सर्वे रिपोर्ट "लक्ष्मी तालाब" की पैमाइश, सौंदर्योकरण, पुनरुद्धार हेतु गठित समिति की संयुक्त आख्या दिनांक 21.12.2021 व उप जिलाधिकारी, झाँसी की आख्या/पत्रांक- 37/एस०टी०/2021 दिनांक 21.12.2021 एवं टोटल स्टेशन मशीन द्वारा किये गये सीमांकन सर्वे का मानचित्र मूल रूप में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली को तदनुसार अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय
जिलाधिकारी,
झाँसी।


मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधानपीठ, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-165 /2021 गिरजा शंकर बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 के अनुपालन सम्बन्धित Status Report ।

झाँसी नगर के अन्तर्गत स्थित लक्ष्मी ताल एवं उसके समीपवर्ती नगर पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0-165 /2021 गिरजा शंकर बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 के अनुपालन में निर्देशानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु जिलाधिकारी, महोदय द्वारा आदेश दिनांक 31.07.2021 के द्वारा निम्नवत् समिति गठित की गयी है :-

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी ।
2. उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी ।
3. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), झाँसी ।
4. अपर जिलाधिकारी, न्यायिक, झाँसी ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी ।

उक्त आदेश के अनुपालन में गठित समिति की पूर्व प्रेषित Status Report रिपोर्ट दिनांक 16.12.2021 में उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मी तालाब पूर्णतः आबादी से चारों तरफ घिरा हुआ है। अतः लक्ष्मी ताल के समस्त रकवों का सीमांकन टोटल स्टेशन सर्वे के माध्यम से किया जा रहा है।

उप जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक-37/एस0टी0/2021 दिनांक 21.12.2021 के द्वारा प्रश्नगत टोटल स्टेशन मशीन की सर्वे रिपोर्ट प्रेषित की गयी है (आख्या की मूल प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है), जिसके अनुसार राजस्व अभिलेख वर्ष 1359 फ0 व बन्दोबस्ती अभिलेख तथा वर्तमान खतौनी वर्ष 1427-1432 फ0 मौजा डड़ियापुरा परगना व तहसील प जिला झाँसी की खतौनी के खाता संख्या 585 के कुल 60 किता रकवा 33.068 हे0 श्रेणी-6(1) अकृषिक भूमि-जलमग्न भूमि लक्ष्मी तालाब के नाम दर्ज अभिलेख कागजात है। ई0टी0एस0 एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार उपरोक्त तालाब के क्षेत्रफल पर कुल 16 किता विन्दुवार मौके पर पाई गई भौगोलिक स्थिति को व्यक्त किया गया है, जिसमें 07 मन्दिर, 01 किता मजार, 01 किता पार्क, 02 किता ग्रीन वेल्ट, 01 किता ओपिन एरिया, 02 किता विल्डिंग तथा शेष वाटर रिजरवायर के रूप में उल्लेख किया गया है। ग्रीन वेल्ट व पार्क को, तालाब के सौंदर्यीकरण हेतु नगर निगम, झाँसी द्वारा बनाया गया है। लक्ष्मी तालाब के गाटा संख्या-1246/0.243 हे0 में 02 पक्के मकान कंमशः मनीराम पुत्र बाबूलाल रायकवार व जितेन्द्र पुत्र बाबूलाल रायकवार के बने पाये गये, जिन्हें नगर निगम, झाँसी की टीम द्वारा ध्वस्त कर लक्ष्मी तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त तालाब की भूमि पर 07 मन्दिर, 01 किता मजार




स्थित है, राजस्व अभिलेखों के आधार पर ई0टी0एस0 पैमाईश के दौरान तालाब की भूमि पर अवैध अतिक्रमण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	अवैध कब्जा के प्रकार	अवैध कब्जा का क्षेत्रफल
1	सड़क किनारे स्थित जगदम्बा मन्दिर, अठखम्बा मन्दिर सहित अन्य 06 छोटे मन्दिर	0.088 हे०
2	मजार	0.170 हे०
	कुल रकवा	0.258 हे०


उपरोक्त विद्यमान अवैध कब्जों में सड़क के किनारे लक्ष्मी तालाब की भूमि पर जगदम्बा मां का मन्दिर है, जो लगभग 400 वर्ष पुराना है, अठखम्बा मन्दिर लगभग 100 वर्ष पुराना है, इसके अतिरिक्त लक्ष्मी तालाब के किनारे छोटे शंकर जी, दुर्गा मां, घटौरिया व देवी जी के मन्दिर बने हैं। तालाब की भूमि पर सड़क के किनारे एक मजार भी बनी हुई है, जो लगभग 400 वर्ष पुराना बताया गया है। चूंकि उपरोक्त स्थलों में आम जनमानस की आस्था एवं ऋद्धा जुड़ी हुई है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त स्थलों को हटाने पर कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है, जिसके दृष्टिगत बेदखली की कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ई0टी0एस0 पैमाईश शजरे में अंकित मुस्तकिल मुकाम से की गई। पैमाईश में लक्ष्मी तालाब का कुल रकवा 33.068 हे० यानि 81.67 एकड़ में से 0.258 हे० पर अवैध कब्जा (उपर्युक्त सारिणी के अनुसार) पाया गया है, शेष भूमि अतिक्रमण मुक्त है।

उपरोक्तानुसार लक्ष्मी तालाब की भूमि की सीमांकन व स्थलीय आख्या (Status Report) मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित किये जाने हेतु प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
झाँसी। (सदस्य)


अपर जिलाधिकारी, न्यायिक,
झाँसी। (सदस्य)


अपर जिलाधिकारी (वि० एवं रा०)
झाँसी। (सदस्य)


उपाध्यक्ष,
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी।
(सदस्य)


नगर आयुक्त
झाँसी नगर निगम, झाँसी।
अध्यक्ष, निरीक्षण समिति,

कार्यालय उप जिलाधिकारी, झाँसी

संख्या- 37 / एस0टी0 / 2021 दिनांक दिसम्बर 21, 2021
 विषय- कार्यालय जिलाधिकारी, महोदय झाँसी के पत्र संख्या-130/ओ0एस0डी0
 दिनांक 22 नवम्बर, 2021 में दिये गये निर्देशों के क्रम में लक्ष्मी तालाब की
 पैमाईश आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

जिलाधिकारी,

झाँसी।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय पत्र संख्या-130/ओ0एस0डी0 दिनांक 22 नवम्बर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डडियापुरा स्थित लक्ष्मी तालाब की पैमाईश राजस्व टीम के द्वारा कराने के निर्देश दिये गये थे।

तत्कम में पैमाईश हेतु गठित राजस्व टीम द्वारा लक्ष्मी तालाब की पैमाईश कराई गई। पैमाईश उपरान्त कार्यालय उप जिलाधिकारी, झाँसी के पत्र संख्या-2372/एस0 टी0-2021 दिनांक 25 नवम्बर, 2021 के द्वारा इस आशय की आख्या प्रेषित की गयी थी कि अभिलेखानुसार लक्ष्मी तालाब के नाम दर्ज कुल क्षेत्रफल 33.068 हे०, जिसमें 1.489 हे० क्षेत्रफल अतिक्रमित प्रतीत होता है, विषयक आख्या प्रेषित की गई थी। इसके साथ ही तालाब में जल भराव के कारण पैमाईश में आई कठिनाई के दृष्टिगत भूमि की ई0टी0एस0 पैमाईश कराने के निर्देश प्राप्त हुये थे।

उल्लेख है कि राजस्व अभिलेख वर्ष 1359 फ० व बन्दोबस्ती अभिलेख तथा वर्तमान खतौनी वर्ष 1427-1432 फ० मौजा डडियापुरा परगना व तहसील व जिला झाँसी की खतौनी के खाता संख्या 585 के कुल 60 किता रकवा 33.068 हे० श्रेणी-6(1) अकृषिक भूमि-जलमग्न भूमि लक्ष्मी तालाब के नाम दर्ज अभिलेख कागजात है, प्रश्नगत भूमि की ई0टी0एस0 पैमाईश हेतु कार्यालय पत्र संख्या-2353/रा0लि0-विविध/2021 दिनांक दिसम्बर 14, 2021 के द्वारा नायब तहसीलदार, झाँसी की अध्यक्षता में शजरे में अंकित विन्दुओं को स्थलीय रूप से इंगित करते हुये ई0टी0एस0 पैमाईश में सहयोग हेतु राजस्व टीम गठित की गई। ई0टी0एस0 एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार उपरोक्त तालाब के क्षेत्रफल पर कुल 16 किता विन्दुवार मौके पर पाई गई भौगोलिक स्थिति को व्यक्त किया गया है, जिसमें 07 मन्दिर, 01 किता मजार, 01 किता पार्क, 02 किता ग्रीन वैंल्ट, 01 किता औपिन एरिया, 02 किता बिल्डिंग तथा शेष बाटर रिजरवायर के रूप में उल्लेख किया गया है। ग्रीन वैंल्ट व पार्क को, तालाब के सौंदर्यीकरण हेतु नगर निगम, झाँसी द्वारा बनाया गया है। लक्ष्मी तालाब के गाटा संख्या-1246/0.243 हे० में 02 पक्के मकान क्रमशः मनीराम पुत्र बाबूलाल रायकवार व जितेन्द्र पुत्र बाबूलाल रायकवार के बने पाये गये, जिन्हें नगर निगम, झाँसी की टीम द्वारा ध्वस्त कर लक्ष्मी तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त तालाब की भूमि पर 07



नं. 01 कित्ता मजार स्थित है, राजस्व अभिलेखों के आधार पर ई0टी0एस0 पैमाईश के दौरान तालाब की भूमि पर अवैध अतिक्रमण निम्नवत है :-

क्र0सं0	अवैध कब्जा के प्रकार	अवैध कब्जा का क्षेत्रफल
1	सड़क किनारे स्थित जगदम्बा मन्दिर, अठखम्बा मन्दिर सहित अन्य 06 छोटे मन्दिर	0.088 हे0
2	मजार	0.170 हे0
	कुल रकवा	0.258 हे0

उपरोक्त विद्यमान अवैध कब्जों के कम में अवगत कराना है कि सड़क के किनारे लक्ष्मी तालाब की भूमि पर जगदम्बा मां का मन्दिर है, जो लगभग 400 वर्ष पुराना है, अठखम्बा मन्दिर लगभग 100 वर्ष पुराना है, इसके अतिरिक्त लक्ष्मी तालाब के किनारे छोटे शंकर जी, दुर्गा मां, घटौरिया व देवी जी के मन्दिर बने हैं। तालाब की भूमि पर सड़क के किनारे एक मजार भी बनी हुई है, जो लगभग 400 वर्ष पुराना बताया गया है। चूंकि उपरोक्त स्थलों में आम जनमानस की आस्था एवं ऋद्धा जुड़ी हुई है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त स्थलों को हटाने पर कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है, जिसके दृष्टिगत बेदखली की कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उक्त ई0टी0एस0 पैमाईश शजरे में अंकित मुस्तकिल मुकाम से की गई। पैमाईश में लक्ष्मी तालाब का कुल रकवा 33.068 हे0 यानि 81.67 एकड़ में से 0.258 हे0 पर अवैध कब्जा (उपर्युक्त सारिणी के अनुसार) पाया गया है, शेष भूमि अतिक्रमण मुक्त है।

अतः मौके पर कराई गई राजस्व अभिलेखों के आधार पर ई0टी0एस0 पैमाईश एवं राजस्व विभाग की आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


उप जिलाधिकारी
झाँसी।

कृपया जिलाधिकारी महोदय झांसी के पत्र संख्या 130/ओ0एस0डी0 दिनांक 22 नवम्बर 2021 के द्वारा मौजा डडियापुरा स्थित लक्ष्मी तालाब की पैमाईश राजस्व टीम के द्वारा कराने के निर्देश दिये गये थे। तत्कम में वर्णित पैमाईश हेतु गठित राजस्व टीम द्वारा लक्ष्मी तालाब की पैमाईश कराई गई। पैमाईश उपरान्त कार्यालय उप जिलाधिकारी महोदय झांसी के पत्र संख्या 2372/एस0टी0-2021 दिनांक 25, 2021 के द्वारा इस आशय की आख्या प्रेषित की गई थी कि अभिलेखानुसार लक्ष्मीतालाब के नाम दर्ज कुल क्षेत्रफल 33.068 हे०, जिसमें 1.489 हे० क्षेत्रफल अतिक्रमित प्रतीत होता है, विषयक आख्या प्रेषित की गई थी।

वर्ष 1359 फ० व बन्दोबस्ती अभिलेख तथा वर्तमान खतौनी वर्ष 1427-1432 फ० मौजा डडियापुरा परगना व तहसील व जिला झांसी की खतौनी के खाता संख्या 585 के कुल 60 किता रकवा 33.068 हे० श्रेणी 6-1 अकृषिक भूमि-जल मग्न भूमि लक्ष्मी तालाब के नाम दर्ज अभिलेख है, जिसकी पैमाईश हेतु राजस्व एवं नगर निगम झांसी टीम से कराने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के अनुपालन में राजस्व एवं नगर निगम की टीम द्वारा मौके पर पैमाईश की गई थी किन्तु तालाब में जराब भराव के कारण पैमाईश में आई कठिनाई के दृष्टिगत उक्त भूमि की ई०टी०एस० पैमाईश कराने के प्राप्त निर्देश के क्रम में प्रश्नगत भूमि की ई०टी०एस० पैमाईश हेतु कार्यालय पत्र संख्या 2353/रा०लि०-विविध/2021 दिनांक दिसम्बर 14, 2021 के द्वारा नायब तहसीलदार झांसी की अध्यक्षता में शजरे में अंकित विन्दुओं को स्थलीय रूप से इंगित ई०टी०एस० पैमाईश में सहयोग हेतु राजस्व टीम गठित की गई। गठित राजस्व टीम व ई०टी०एस० टीम के सहयोग से पैमाईश की गई। पैमाईश में उक्त लक्ष्मी तालाब के गाटा संख्या 1246/0.243 हे० में 02 पक्के मकान मनीराम पुत्र बाबूलाल रायकवार व जितेन्द्र रायकवार पुत्र बाबूलाल रायकवार के पाये गये, जिन्हें नगर निगम की टीम द्वारा ध्वस्त कर लक्ष्मी तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। ग्रीन बैल्ट में पार्क को तालाब के सौन्दर्यीकरण हेतु नगर निगम द्वारा बनाया गया है। उक्त आराजी में दो सार्वजनिक मंदिर (लगभग 650 वर्गफुट) निर्मित है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि संख्या 1657 के जुज भाग रकवा 0.004 हे० में तालाब के मध्य में एक छोटा सा मन्दिर है। राजस्व अभिलेखों के आधार पर ई०टी०एस० पैमाईश के दौरान वर्णित भूमि में अवैध कब्जे की स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी-

क्र० सं०	अवैध कब्जा के प्रकार	अवैध कब्जा का क्षेत्रफल
1	अठखम्भा मन्दिर एवं 06 अन्य छोटे मन्दिर	0.088 हे०
2	मजार	0.1700 हे०
	कुल रकवा	0.258 हे०

उक्त अवैध कब्जों के क्रम में अग्रगत कराना है कि मौके पर एक अठखम्भा मन्दिर (नागेश्वर नाथ महादेव मन्दिर) है, जिसके सम्बन्ध में श्रद्धालुओं एवं नगरवासियों द्वारा बताया गया है कि यह मन्दिर लगभग 400 वर्ष पुराना है। इसके अलावा मजार से उत्तर दिशा में मौ


जगदम्बा मन्दिर है तथा लक्ष्मी तालाब के किनारे अन्य छोटे शंकर जी , दुर्गा मां, घटोत्सवा व देवीजी का मन्दिर है। उपरोक्त मन्दिरों में लोगों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। तालाब के किनारे स्थित मजार को स्थानीय लोगों द्वारा लगभग 400 वर्ष पुराना बताया गया है। चूंकि उपरोक्त स्थलों में आम जनमानस की आस्था एवं श्रद्धा जुड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त स्थलों को हटाने पर कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है जिसके दृष्टिगत वेदखली की कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।


उक्त ई0टी0एस0 पैमाईश शजर में अंकित मुस्तकिल मुकाम से की गई। पैमाईश में लक्ष्मी तालाब का कुल रकबा 33.068 हे0 यानि 81.67 एकड़ में से 0.258 हे0 पर अवैध कब्जा (उपर्युक्त सारणी के अनुसार) पाया गया है. शेष भूमि अतिक्रमण मुक्त है।

अतः उपरोक्त आख्या सेवा में सादर प्रेषित हैं।



श्री हरिश्चन्द्र
लेखपाल


मनोज अग्रवाल
लेखपाल


नरसिंह
लेखपाल


राजेश्व निरीक्षक
झॉसी।


नायब तहसीलदार
झॉसी।


तहसीलदार
झॉसी।

STP Lab test Report

STP Lab test Report

राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में स्वीकृत लक्ष्मीताल प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण योजना के अन्तर्गत जनपद झॉंसी में लक्ष्मीताल स्थित 26 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का संक्षिप्त विवरण

नेशनल लेक कन्जरवेशन प्लान (NLCP) के अन्तर्गत लक्ष्मीताल प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण योजना के अन्तर्गत लक्ष्मीताल स्थित 26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 का निर्माण किया गया है। उक्त एस0टी0पी0 एस0वी0आर0 तकनीकी आधार पर डिजाइन है। इस योजना के अन्तर्गत 26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, 22 एम0एल0डी0 एस0पी0एस0-1, 4 एम0एल0डी0 एस0पी0एस0-2, 0.4 एम0एल0डी0 एस0पी0एस0-3 एवं 4 एम0एल0डी0 टरसरी ट्रीटमेन्ट का प्राविधान किया गया है। एस0पी0एस0-1 पर झॉंसी नगर के अन्तर्गत कुबेरु नाला, कसाई मण्डी नाला एवं लक्ष्मीताल नाला को टेप कर, एस0पी0एस0-2 पर झॉंसी नगर के अन्तर्गत जोशियाना नाला, बंगलाघाट नाला एवं डिमरयाना नाला टेप कर तथा एस0पी0एस0-3 पर ओम शांति नगर नाले को टेप कर सीवेज को उक्त तीनों पम्पिंग स्टेशनों के माध्यम से शोधन हेतु 26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 को प्रेषित किया जाता है। 26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर प्राप्त सीवेज को शोधन एवं क्लोरिनेशन उपरान्त नारायण बाग नाले में प्रेषित कर दिया जाता है। वर्तमान में एस0टी0पी0 पर औसतन 8 से 10 एम0एल0डी0 सीवेज प्राप्त हो रहा है, जिसका शोधन किया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत 4 एम0एल0डी0 टरसरी ट्रीटमेन्ट प्लान्ट कियाशील है, जिसके माध्यम से एस0टी0पी0 से शोधित सीवेज को पुनः शोधन कर लक्ष्मीताल झील में प्रेषित किया जाना है। वर्तमान में लक्ष्मीताल झील में सौन्दर्यीकरण का कार्य नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है। जिसके कारण 4 एम0एल0डी0 टरसरी ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का संचालन बाधित है।

26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर प्राप्त होने वाले सीवेज एवं शोधित सीवेज के पैरामीटर का विवरण निम्नानुसार है :-

Inlet and Outlet parameters for 26 MLD STP Laxmital Jhansi					
Sl. No.	Parameters	Unit	As per Contract Bond quality standards		Current Achievement of Treated Effluent at STP
			Influent sewage/ Inlet	Treated Sweage/ Outlet	
1	pH	--	6.5-8.5	6.5-8.5	7.6
2	Biochemical Oxygen Demand (BOD)	Mg/lit	180-200	10 or less	10.1
3	Chemical Oxygen Demand (COD)	Mg/lit	400-500	100 or less	50.5
4	Total Suspended Solids (TSS)	Mg/lit	250-300	30 or less	28

Outlet parameters for 4 MLD Tursury treatment plant at 26 MLD STP Laxmital Jhansi				
Sl. No.	Parameters	Unit	Treated Sweage/ Outlet	Achivement of quality standards
1	pH	--	6.5-8.5	Operation of TT Plant withhold due to beautification work of Laxmital lake done by nagar nigam.
2	Dissolved Oxygen		≥ 5	
3	Biochemical Oxygen Demand (BOD)	Mg/lit	≤ 3	

अधिशोसी अभियन्ता / परियोजना प्रबन्धक
झॉंसी खण्ड प्रयम / निर्माण इकाई
उ०प्र० जल निगम (नगरीय) झॉंसी

STP Lab test Report

SEWAGE ANALYSIS REPORT									
GEO MILLER & CO. PVT. LTD., JHANSI									
PERIOD: 01.03.2022 TO 31.03.2022					26 MLD SEWAGE TREATMENT PLANT, U.P. JAL NIGAM, JHANSI, U.P.				
SL. NO.	DATE	INLET				OUTLET			
		pH	TSS (Mg/L)	COD (Mg/L)	BOD (Mg/L)	pH	TSS (Mg/L)	COD (Mg/L)	BOD (Mg/L)
1	01-03-2022	7.5	154	427.9	148	7.6	26	50.3	10.5
2	02-03-2022	7.5	160	409.9	166	7.7	29	46.7	10.2
3	03-03-2022	7.6	166	417.4	162	7.6	25	53.5	9.9
4	04-03-2022	7.5	153	423.1	150	7.7	28	49.7	9.0
5	05-03-2022	7.5	167	405.3	138	7.6	26	46.2	9.6
6	06-03-2022	7.5	160	418.1	142	7.5	27	49.6	9.3
7	07-03-2022	7.6	187	430.9	152	7.7	29	45.9	9.9
8	08-03-2022	7.5	166	408.3	146	7.7	26	49.2	9.0
9	09-03-2022	7.5	150	413.9	140	7.6	26	52.6	9.9
10	10-03-2022	7.6	158	397.1	158	7.6	28	45.2	9.6
11	11-03-2022	7.5	151	371.5	136	7.5	25	52.0	9.0
12	12-03-2022	7.5	144	408.2	146	7.6	25	58.8	9.9
13	13-03-2022	7.6	159	419.2	152	7.6	28	48.1	9.3
14	14-03-2022	7.6	168	428.0	160	7.7	26	68.6	9.6
15	15-03-2022	7.6	141	395.8	150	7.6	29	44.3	9
16	16-03-2022	7.5	151	409.5	140	7.6	25	47.7	9.6
17	17-03-2022	7.6	137	429.0	138	7.6	28	59.6	9.3
18	18-03-2022	7.5	144	416.3	148	7.6	24	52	9.6
19	19-03-2022	7.5	149	402.7	160	7.6	25	48.6	10.5
20	20-03-2022	7.5	140	377.1	148	7.6	27	51.9	9.9
21	21-03-2022	7.5	152	391.1	138	7.5	26	48.1	9.6
22	22-03-2022	7.5	141	309.3	164	7.6	29	60.4	10.5
23	23-03-2022	7.5	136	329.5	132	7.6	27	56.7	10
24	24-03-2022	7.6	126	312.1	156	7.7	40	59.4	11.2
25	25-03-2022	7.5	120	298.7	144	7.5	28	51.6	10.1
26	26-03-2022	7.5	144	408.2		7.6	25	58.8	
27	27-03-2022	7.6	157	396.8		7.7	30	46.9	
28	28-03-2022	7.6	149	382.4		7.6	28	50.5	
29	29-03-2022								
30	30-03-2022								
31	31-03-2022								

Checked by

सुरेश
 A.P.F.
 29/03/22
 Ravi Kumar Suresh
 A.P.F.
 Construction Unit
 UPJAL NIGAM Jhansi

सुरेश
 (रवि कुमार सुरेश)
 A.P.F.

Tested by



Scanned by TapScanner

Representation given to Honorable NGT committee by habitants of Land proposed for city Park to change the Land use

सेवा में
उपाध्यक्ष
झांसी विकास प्राधिकरण झांसी उत्तर प्रदेश

विषय: महायोजना (मास्टर प्लान) 2021 अंतर्गत अंकित भू-उपयोग नगर पार्क को शासनादेश संख्या 3452/9-आ-3-2004-55वि./2002 के आधार पर भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में व प्रश्नगत भूमि पर किए गए भवन निर्माण पर प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय को वापस लेने की प्रार्थना।

महोदय,

प्रार्थीगण सविनय करबद्ध उपरोक्त विषयांतर्गत निम्नवत् बिंदुओं के माध्यम से निवेदन करते हैं कि

1. प्रश्नगत भूमि भूमिधर जमीन जो खतौनी में आज भी श्रेणी 1क में दर्ज है जिसमें खातेदारों ने अपनी भूमि छोटे-छोटे प्लॉटों के रूप में प्रार्थीगणों (क्रेताओं) को विक्रय किया है। और जब भूमि पहले ग्राम सभा पिछोर में थी तब भी कुछ मकानों का निर्माण हो चुका था, इसके पश्चात यह भूमि नगर निगम में आई और 1984 झांसी विकास प्राधिकरण के अस्तित्व में आने के बाद लगभग 2018 तक यहां सघन आबादी विकसित हो चुकी थी। अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त आधार को संज्ञान में लेकर प्रार्थी गण जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मध्यम वर्ग से हैं जिन्होंने जीवन भर की संचित पूंजी गृह निर्माण में लगाकर अपने परिवार को छत दे पाई है को पूर्व में पारित निर्माण विध्वंस आदेश वापस अथवा रिकॉल करने की कृपा करें।
2. विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रश्नगत भूमि में किसी भी प्रकार का भूमि अधिग्रहण किए बिना भू उपयोग नगर पार्क में अंकित करना बताया गया है जो आपके द्वारा प्रेषित निर्णयों और अन्य प्रपत्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार से कभी 1979-2001 महायोजना का भाग बताया गया कभी 2005 से प्रभावी होना बताया गया तो कभी 2015 से जो कि अस्पष्ट सूचना प्रदान करता है। यदि प्रश्न गत भूमि इतने लंबे समय से नगर पार्क में अंकित है तो भूमि अधिग्रहण ना करना सर्वथा उचित नहीं है। कृपया सामाजिक कल्याण एवं उत्थान के लिए उपयुक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भू-उपयोग परिवर्तन कर प्रार्थीगणों को कंपाउंडिंग का अवसर प्रदान करें ताकि प्रार्थीगण अपने परिवार को सर पर छत दें पायें और परिवार का भरण पोषण सुनिश्चित सकें।
3. प्रार्थी गणों की भूमि व्यक्तिगत संपत्ति है जिससे यह स्पष्ट है कि हम अवैध अतिक्रमण कारी नहीं है, अब जबकि एक ओर भूमि को अधिग्रहित नहीं किया गया और दूसरी ओर भू संपत्ति स्वामियों को अवैध अतिक्रमण कारी कहा जाना सर्वथा उचित नहीं है। कृपया पूर्व में दिए निर्माण विध्वंस के आदेश को वापस ले अन्य वैकल्पिक अवसर प्रदान करने की कृपा करें।
4. प्रश्न गत भूमि में अनेकानेक शासन एवं सरकार द्वारा विकास कार्य भी करवाए जा चुके हैं जैसे कि सड़क निर्माण विद्युत संयोजन लाइन वह खम्भे लगाने का कार्य एवं जल आपूर्ति हेतु महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत घर घर नल लगाए गए जिन सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी हैं। इस प्रकार निर्माण विध्वंस आदेश से सरकार द्वारा आम जनमानस पर खर्च किए लाखों करोड़ों रुपए अप्रत्यक्ष रूप से पूर्णतः बर्बाद हो जाएंगे। कृपया उपरोक्त

को दृष्टिगत रखते हुए निर्माण विध्वंस आदेश वापस लेकर भू उपयोग आवासीय आबादी में दर्ज करने की कृपा करें।

5. प्रश्न गत भूमि पर प्रत्येक भूमि-खंड के लिए भू-स्वामी प्रार्थी गणों के पास वैध बैनामा रजिस्ट्री व अन्य उपयुक्त दस्तावेज उपलब्ध हैं। कृपया प्रार्थी गणों की दीन दशा और अप्रत्याशित वेदना, कष्ट और मर्म का ध्यान रखते हुए भू-उपयोग परिवर्तित कर आवासीय दर्ज करने की कृपा करें।

6. प्रश्न गत भूमि पर सघन आबादी विकसित हो चुकी है, जिसमें कुछ मकान तो वर्ष 1970 के बने हुए हैं। कई निर्माण 20 से 25 वर्ष पुराने और अधिकतर घर 10 से 15 वर्ष पूर्व में बनाए जा चुके हैं। महोदय कुछ भवन निर्माण तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी हुए हैं। सभी प्रार्थी गण विद्युत भुगतान वह गृह कर भुगतान भी समयानुसार कर रहे हैं। श्रीमान जी से निवेदन है कि नगर निगम व राजस्व विभाग की अनापत्ति उपलब्ध होने के बावजूद निर्माण विध्वंस का आदेश मानवीय दृष्टिकोण से सर्वथा उचित नहीं है, जो सरकार के आम जनमानस को सर पर छत प्रदान करने के प्रधानमंत्री आवास वृहद परियोजना की मूल भावना के खिलाफ भी है, कृपया लोक हित में जो प्राधिकरण का भी मूल उद्देश्य है को दृष्टिगत रखने की कृपा करें।

7. प्रश्न गत भूमि पर हुए निर्माण पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जा रही है जिसके अंतर्गत विकास प्राधिकरण सघन आबादी विकसित क्षेत्र को धारा 27(1) के आधार पर सीधे निर्माण गिरा देने का आदेश दे चुकी है जो सर्वथा उचित नहीं है जबकि उपरोक्त शासी कानून नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 13 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों में बिना कार्यवाही किए मास्टर प्लान को परिवर्तित किया जा सकता है। कृपया आगामी मास्टर प्लान में वर्तमान मास्टर प्लान 2021 के अंतर्गत नगर पार्क को आवासीय परिवर्तित करने की महान दया करें।

8. प्रश्न गत भूमि मास्टर प्लान 2021 अंतर्गत भू-उपयोग नगर पार्क अंकित है। जबकि अब सघन आबादी विकसित हो चुकी है। सघन आबादी विकसित होने के उपरांत शासनादेश संख्या 3452/9-आ-3-2004-55-वि./2002, दिनांक 30 अक्टूबर 2004 के आधार पर मानवीय दृष्टिकोण से और सामाजिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए परिवर्तित करना सर्वथा उचित है। पर्यावरण को भी दृष्टिगत रखते हुए व्यापक रूप से यदि अवलोकन किया जाए तो आप पाएंगे की प्रश्न गत भूमि से बहुत समीप लगभग 100-150 मीटर सीधी दूरी पर राजकीय बाग नारायण बाग जो कि 44 हेक्टेयर में फैला है, स्थानीय प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, जबकि विकास प्राधिकरण द्वारा प्रश्न गत भूमि का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में पर्याप्त फंड उपलब्ध न होने के कारण पूर्व में अधिग्रहण ना करने की असमर्थता जताई जा चुका है।

कृपया उपरोक्त शासनादेश को लागू कर जनहित में निर्माण विध्वंस आदेश को स्वतः प्राधिकरण द्वारा अप्रभावी अथवा रद्द कर आवासीय घोषित करने की व भवन निर्माण कंपाउंडिंग का अवसर प्रदान करने की कृपा करें।

9. शासनादेश संख्या 3452/9-आ-3-2004-55-वि./2002, दिनांक 30 अक्टूबर 2004 के आधार पर कार्यालय संयुक्त नियोजक, संभागीय नियोजन खंड, झांसी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश 803/4-A निकट पीएनटी कॉलोनी ग्वालियर रोड झांसी ने उरई विकास प्राधिकरण उरई में महायोजना 2021 को संशोधनों के लिए अनुमोदन करते हुए एजेंडा में शामिल करने का उचित कार्य किया था आदेश अवलोकनार्थ संलग्न है। कृपया प्रश्न

गत भूमि के संदर्भ में भी हमारी आपसे प्रार्थना है कि उचित वह प्रशंसनीय कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण के द्वारा जारी विध्वंस निर्णय को वापस अथवा रिकॉल करने की कृपा करें और भू उपयोग परिवर्तन कर विकसित आवासीय/विकास को अगली महायोजना में सुनियोजित करें और प्रार्थी गणों को कंपाउंडिंग का अवसर प्रदान करें। श्रीमान जी पूर्व में विध्वंस आदेश के बाद प्राधिकरण को यही प्रार्थना पत्र दिनांक 03-02-2022 को दिया गया था जिस पर कोई रिसेविंग प्राधिकरण कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा नहीं दी गई थी। और जब पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया गया तो रजिस्टर्ड डाक द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जा रहा है और इसकी एक प्रति कार्यालय संयुक्त नियोजक संभागीय नियोजन खंड झांसी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश को भी प्रेषित की जा रही है।

श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर प्रार्थना पत्र का शीघ्र अति शीघ्र निस्तारण करें अन्यथा की स्थिति में पीड़ित प्रार्थी गण माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे।

श्रीमान जी सरकारी शासन और संस्थाएं सामाजिक हित एवं उत्थान के लिए कार्य करते हैं महोदय से अपेक्षा है कि सामाजिक और प्राकृतिक न्याय प्रार्थी गणों के साथ किया जाएगा।

दिनांक- 03/03/2022

संलग्नक

1. शासनादेश 3452/9-आ-3-2004-55-वि./2002, दिनांक 30 अक्टूबर 2004.
2. आदेश कार्यालय संयुक्त नियोजक, संभागीय नियोजन खंड, झांसी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश 803/4-A निकट पीएनटी कॉलोनी ग्वालियर रोड झांसी

प्रार्थी गण:
निवेदक - समस्त गुमनामवासी, पिदौर, महाराज प्रताप नगर - झांसी निवासी

- | | |
|---------------------------|----------------|
| ① कान्ती देवी | ⑨ स्नेहलता पाल |
| ② बजरंगदास पाठक | ⑩ शैलेश सिंह |
| ③ श्रीमती सतीश गुहा | ⑪ वैजनाथ |
| ④ मोनिका तिवारी | ⑫ राजेश सिंह |
| ⑤ परमानंद पाल | ⑬ शानवती |
| ⑥ रेखा देवी | ⑭ रूति |
| ⑦ पद्म ठाकुर पत्नी सुनीता | ⑮ मीना साधव |
| ⑧ मामती पालन प्रवेश | ⑯ शशि पाठव |
| | ⑰ जीता खिन्दी |

U.P URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 1973

Section-54

37

U.P. URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 1973

[S. 54]

51. Power to delegate.—(1) The State Government may by general or special order, direct that any power exercisable by it under this Act except the power to make rules, may also be exercised by such officer in such cases and subject to such conditions, if any, as may be specified therein.

(2) The Authority, may, by general or special order, direct that any power exercisable by it under this Act, except the power to make regulations or bye-laws, may also be exercised by such officer or local authority, in such cases and subject to such conditions, if any, as may be specified therein.

(3) The Vice-Chairman of the Authority may by general or special order direct that any power exercisable by him under the Act may also be exercised by such officer of the Authority in such cases and subject to such conditions, if any, as may be specified therein.

52. Savings.—Nothing in this Act shall apply to—

- (a) the carrying out of works for the maintenance, improvement or other alterations of any building, being works which affect only the interior of the building or which do not materially affect the external appearance of the building;
- (b) the carrying out by any local authority or by any department of Government of any works for the purpose of inspecting, repairing or renewing any drains, sewers, mains, pipes, cables or other apparatus including the breaking open of any street or other land for that purpose;
- (c) the operational construction (including maintenance, development and new construction), by or on behalf of a department of the Central Government;
- (d) the erection of a building not being dwelling-house, if such building, is required for the purposes subservient to agriculture;
- (e) the excavations (including wells) made in the ordinary course of agricultural operations; and
- (f) the construction of unmetalled road intended to give access to land solely for agricultural purposes.

53. Exemption.—Notwithstanding anything contained in this Act the State Government may by notification in the Gazette exempt, subject to such conditions and restrictions, if any, as may be specified in such notification, any land or building or class of lands or buildings from all or any of the provisions of this Act or rules or regulations made thereunder.

54. Plans to stand modified in certain cases.—(1) Where any land situated in the development area is required by the master plan or a zonal development plan to be kept as an open space or unbuilt upon or is designated in any such plan as subject to compulsory acquisition, then, if at the expiration of ten years from the date of coming into operation of the plan under Section 12 or where such land has been so required or designated by any amendment of such plan, from the date of coming into operation of such amendment, under sub-section (4) of Section 13, the land is not compulsorily acquired the owner of the land may serve on the State Government a notice requiring his interest in the land to be so acquired.

U.P URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 1973

Section-54

38

U.P. URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 1973

[S. 55]

(2) If the State Government fails to acquire such land within a period of six months from the date of the notice, the master plan or, as the case may be, the zonal development plan shall have effect, after the expiration of the said six months, as if that land were not acquired to be kept as an open space or unbuilt upon or were not designated as subject to compulsory acquisition.

55. Power to make rules.—(1) The State Government may by notification in the Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely—

¹[(a) the levy of fee on a memorandum of appeal under sub-section (5) of Section 15 or under sub-section (3) of Section 27;]

(b) the procedure to be followed by the ²[Chairman] in the determination of betterment charge, and the powers that it shall have for that purpose;

(c) any other matter which has to be or may be, prescribed by rules.

(3) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session for a total period of not less than thirty days, extending in its one session or more than one successive session, and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the Gazette subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may, during the said period, agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

56. Power to make regulations.—(1) An Authority may, with the previous approval of the State Government, make regulations, not inconsistent with this Act and the rules made thereunder, for the administration of the affairs of the Authority.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely—

(a) the summoning and holding of meetings of the Authority, the time and place where such meetings are to be held, the conduct of business at such meetings and the number of members necessary to form a quorum thereat;

1. Subs. by Section 12 of U.P. Act 13 of 1975.

2. Subs. by Section 8 of U.P. Act 19 of 1976.

Report of town planner regarding green area proposed in draft master plan 2031

**कार्यालय, सहयुक्त नियोजक,
ग्राम एवं नगर नियोजक विभाग, सम्भागीय नियोजन, खण्ड झांसी।**

संख्या- 4 / सह0नियो0 / (2021-22) दिनांक 30 मार्च 2022

प्रेषक,
सहयुक्त नियोजक
ग्राम एवं नगर नियोजक विभाग
सम्भागीय नियोजन, खण्ड
झांसी।


सेवा में,
उपाध्यक्ष,
झांसी विकास प्राधिकरण,
झांसी।


विषय :- अमृत योजना अन्तर्गत झांसी महायोजना 2031 (ड्राफ्ट) में प्रस्तावित ग्रीन एरिया के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषयक प्राधिकरण सीमान्तर्गत महायोजना 2021 एवं झांसी महायोजना 2031 (ड्राफ्ट) में प्रस्तावित ग्रीन एरिया (GIS Based) का विवरण निम्न प्रकार है :-

झांसी महायोजना 2021 में प्रस्तावित ग्रीन एरिया	-	1280.62 हे०
झांसी महायोजना 2031 (ड्राफ्ट) में प्रस्तावित ग्रीन एरिया	-	2325.69 हे०

कृपया अवगत होने का कष्ट करें।


 (एन.के.पुष्करणी) 30/3/22
 सहयुक्त नियोजक
 सम्भागीय नियोजन खण्ड, झांसी



Amit2022_88

Survey report regarding city Park area near Laxmital

CIN : U74999DL2017PTC313800

**CITIYANO DE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED**

E-24, Gali No. 25, Madhu Vihar, I.P. Extension, Patparganj, Delhi-110092

Website : www.citiyanode.com

Email : contact@citiyanode.com

citiyano.de@gmail.com

Phone No. : +91-120-4565040, +91-8076298926

Ref No:803/Reply_Landdetails/CDSPL-2021-22

Date: 30th March 2022

To
The Secretary
Jhansi Development Authority (JDA)
In front of Circuit House, Jhansi
Uttar Pradesh-284001.
Email: jda_jhansi@reddiffmail.com

Subject: - Land Details of City Park in the Draft Master Plan prepared for 2031 - Reg

Refs: Letter No.1954/JDA/(2021-22) dated on 29th March 2022.

Respected Sir,

Thank you for your communication. As per your requirement in letter referenced above, we are hereby providing you the details of City Park, revenue village wise and the deviation in the Existing Master Plan-2021.

We would like to Thank in advance in anticipation of your kind support

Kindly refer the tentative table below for the same.

S.No	Revenue Village	Total Area of City Park (Ha)	Area of City Park		Deviation (Ha)	Vacant Land (Ha)
			Private (Ha)	Govt. (Ha)		
1	Pichhorre	37.73	37.73	-	29.19	8.54
2	Talpura	11.31	11.31	-	10.85	0.46
3	Dadiyapura	121.44	76.70	44.74	60.38	16.32
	Total	170.48	125.74	44.74	100.42	25.32

Copy To:
The Secretary General, ISPER, Panchukula, Haryana.

Yours Sincerely

[Handwritten Signature]
30/03/22
Bhargav Kumar Gorrigala,
Asst. Manager Planning,
Citiyano De Solutions Pvt. Ltd.

List of illegal construction on private Land and details of action taken (2017 to 2021)

झाँसी नगर के लक्ष्मी ताल के निकट नगर पार्क हेतु आरक्षित भूमि में चिह्नित सूचीबद्ध अवैध निर्माण के विरुद्ध
झाँसी विकास प्राधिकरण, न्यायालय द्वारा कृत कार्यवाही

क्र० सं०	नोटिस संख्या	प्लटकारों का नाम	आराजी संख्या/क्षेत्रफल	बैनामा दिनांक	ध्वस्तीकरण का आदेश	अपील लम्बित/न्यायालय मण्डलायुक्त, झाँसी	न्यायालय मण्डलायुक्त, झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी द्वारा पारित आदेश का विवरण	अपील में निर्णय-के उपरान्त कृत कार्यवाही	मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद
1	33/2015-14	श्रीमती गीता देवी कुशवाहा पत्नी श्री अरविन्द कुमार कुशवाहा	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 29.11.2019 निर्गत।	-	-	-	-
2	34/2015-15	श्री केशव टोकरसे पुत्र श्री रघु किशन टोकरसे एवं श्री भगवान दास पुत्र श्री सुनके	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 29.11.2019 निर्गत।	-	-	-	-
3	35/2015-16	श्री धर्मद कुमार व श्री पीरेंद्र कुमार पुत्रगण श्री राम नाथ आवि	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 29.11.2019 निर्गत।	-	-	-	-
4	60/2015-16	श्रीमती सुधा तिवारी पत्नी श्री संतोष शिवाजी	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 30.09.2015 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दि० 30.07.2021 जारी।	-	-	-	-
5	61/2015-16	श्री विक्रम सिंह परिहार	843/83.64 वर्गमीटर	10.04.2015	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 30.09.2015 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दि० 30.07.2021 जारी।	-	-	-	-
6	62/2015-16	श्रीमती मूँते देवी	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 30.09.2015 जारी उपरान्त अन्तिम नोटिस दि० 04.08.2021 जारी।	अपील लम्बित	-	-	-
7	63/2015-16	श्रीमती राम देवी पत्नी श्री धन्य प्रकाश	833/81.32 वर्गमीटर	30.10.2014	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 07.10.2015 जारी उपरान्त अन्तिम नोटिस दि० 30.07.2021 जारी।	-	-	-	-
8	64/2016-16	श्री पुष्पेन्द्र कुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व० श्री रामसहाय	833/81.32 वर्गमीटर	30.10.2014	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 07.10.2015 निर्गत।	अपील लम्बित दि०-02.03.2022	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 28.01.2022 निर्गत।	मा० उच्च न्यायालय में याद विचारधीन
9	36/2016-17	श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री सत्येन्द्र कुमार व अन्य	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 18.07.2016 जारी उपरान्त अन्तिम नोटिस दि० 30.07.2021 जारी।	-	-	-	-

Page 1 of 8

List of illegal construction on private Land and details of action taken (2017 to 2021)

10	37/2016-17	श्रीमती जनीला बानो पत्नी श्री मजून सा	829/127.50 वर्गमीटर	17.08.2011	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 15.07.2016 निर्गत।	अपील लम्बित	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	घरस्तीकरण आदेश दि 28.01.2022 निर्गत।	माउ उच्च न्यायालय में बाद विचारणीय
11	38/2016-17	श्री बबू हरीश्रीम व अन्य	-	-	घरस्तीकरण आदेश दि 15.07.2016 जारी उपरान्त अन्तिम नोटिस दि 30.08.2021 जारी।	-	-	-	-
12	39/2016-17	श्रीमती रिती श्रीतिया पत्नी श्री बृजेश कुमार व अन्य	-	-	घरस्तीकरण आदेश दि 18.07.2016 जारी उपरान्त अन्तिम नोटिस दि 04.08.2021 जारी।	अपील लम्बित	-	-	-
13	40/2016-17	श्रीमती सुकता देवी पत्नी श्री कैलाश नारायण व अन्य	843/162.64 वर्गमीटर	18.12.2008	घरस्तीकरण आदेश दि 18.07.2016 जारी।	अपील लम्बित	आदेश 26.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	घरस्तीकरण आदेश दि 17.02.2022 निर्गत।	-
14	41/2016-17	श्रीमती संख्या देवी पत्नी श्री मुकेश कुमार व अन्य	-	-	घरस्तीकरण आदेश दि 15.07.2016 जारी उपरान्त अन्तिम नोटिस दि 30.07.2021 जारी।	-	-	-	-
15	10/2017-18	श्री चम्पू ठाकुर	826/139.40 वर्गमीटर	31.01.2012	घरस्तीकरण आदेश दि 30.07.2021 जारी।	अपील लम्बित दि-22.03.2022	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	घरस्तीकरण आदेश दि 25.01.2022 निर्गत।	माउ उच्च न्यायालय में बाद विचारणीय
16	12/2017-18	श्रीमती रेखापाल पत्नी श्री हरीसिंहपाल	827/111.52 वर्गमीटर	26.02.2014	घरस्तीकरण आदेश दि 30.07.2021 जारी।	अपील लम्बित दि-22.03.2022	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	घरस्तीकरण आदेश दि 25.01.2022 निर्गत।	माउ उच्च न्यायालय में बाद विचारणीय
17	20/2017-18	श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री दीपक श्रीवास्तव	818/111.52 वर्गमीटर	29.12.2009	घरस्तीकरण आदेश दि 30.07.2021 जारी।	अपील लम्बित दि-23.03.2022	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	घरस्तीकरण आदेश दि 28.01.2022 निर्गत।	माउ उच्च न्यायालय में बाद विचारणीय
18	21/2017-19	श्री मानवेन्द्र सिंह	819/820/104.49 वर्गमीटर	24.12.2009	घरस्तीकरण आदेश दि 09.08.2017 जारी।	-	आदेश 27.09.2021 निर्गत।	-	माउ उच्च न्यायालय द्वारा रिट सं-28188/2021 में रिवीजन के लिए निर्देश दिए गए।
19	68/2017-18	श्रीमती गिरजा देवी पत्नी श्री रमेश कुमार वर्मा (अतिस्थायित) श्री विशुपाल यादव	820/83.64 वर्गमीटर 829/83.64 वर्गमीटर	बैनामा दि-14.10.2009 सितम्मा दि-26.06.2018 08.02.2016	घरस्तीकरण आदेश दि 30.07.2021 जारी।	अपील लम्बित दि-10.03.2022	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	घरस्तीकरण आदेश दि 14.02.2022 निर्गत।	-
20	69/2018-19	श्रीमती प्रीति वर्मा पत्नी श्री वीरेश वर्मा	844/139.44 वर्गमीटर	30.05.2008	घरस्तीकरण आदेश दिनांक 04.02.2022 निर्गत।	-	-	-	-

List of illegal construction on private Land and details of action taken (2017 to 2021)

21	70/2018-19	श्री जाहर सिंह यादव	844/148.70 वर्गमीटर	16.01.2010	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 04.02.2022 निर्गत	-	-	-	मा० उच्च न्यायालय में याद विचारस्थिति
22	72/2018-19	श्री रमेश अहिंयार	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 04.02.2022 निर्गत	-	-	-	-
23	73/2018-19	श्रीमती माण्डवी देवी पत्नी श्री नन्दलाल वर्मा	826/111.52 वर्गमीटर	04.01.2016	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 04.02.2022 निर्गत	-	-	-	-
24	74/2018-19	श्री राजनीकान्त गोस्वामी	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 04.02.2022 निर्गत	-	-	-	-
25	93/2018-19	श्री चमेश नायक	752/105.13 वर्गमीटर	22.12.2009	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 11.02.2022 जारी।	-	-	-	-
26	94/2018-19	श्री जगत पाल पुत्र श्री श्रीपाल	853/167.22 वर्गमीटर	31.03.1990	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 10.02.2022 जारी।	-	-	-	-
27	95/2018-19	श्री दिलीप शर्मा	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 14.02.2022 जारी।	-	-	-	-
28	97/2018-19	श्री विवेक कुमार पुत्र श्री कुमल कुमार	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 11.02.2022 निर्गत।	-	-	-	मा० उच्च न्यायालय में याद विचारस्थिति
29	98/2018-19	श्री अशुल कुमार सोनी	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 02.09.2021 निर्गत।	अपील लम्बित	-	-	-
30	99/2018-19	श्रीमती अरुणा बेबी पत्नी श्री शिबेन्द्र कुमार	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 04.08.2021 जारी।	-	-	-	-
31	100/2018-19	श्री दीपक शर्मा	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 21.01.2019 जारी उपरान्त अन्तिम नोटिस दि० 21.08.2021 जारी।	-	-	-	-
32	101/2018-19	श्रीमती निर्मला	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 14.02.2022 निर्गत।	-	-	-	-
33	102/2018-19	श्रीमती कमला पत्नी श्री फूलचन्द्र कुशवाहा	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 14.02.2022 जारी।	-	-	-	मा० उच्च न्यायालय में याद विचारस्थिति
34	103/2018-19	श्रीमती सुनीता अहिंयार पत्नी श्री कमलेश अहिंयार	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 11.08.2021 जारी।	-	-	-	मा० उच्च न्यायालय में याद विचारस्थिति
35	104/2018-19	श्रीमती सुनीता द्विवेदी पत्नी श्री प्रेम सागर द्विवेदी	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 22.06.2019 जारी।	-	-	-	-
36	105/2018-19	श्रीमती सविता देवी पत्नी श्री राजेश	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 11.02.2022 निर्गत।	-	-	-	-
37	106/2018-19	श्रीमती मंजू देवी	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 22.06.2019 जारी उपरान्त अन्तिम नोटिस दि० 21.08.2021 जारी।	-	-	-	-
38	107/2018-19	श्री भगवान दास	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 22.06.2019 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दि० 21.08.2021 जारी।	-	-	-	-

List of illegal construction on private Land and details of action taken (2017 to 2021)

39	108/2018-19	श्रीमती विजया तिचारि	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 22.06.2019 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दि० 21.08.2021 जारी।	-	-	-	-
40	469/2018-19	श्रीमती रानी रघुवन्धर	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 22.06.2019 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दि० 21.08.2021 जारी।	-	-	-	-
41	110/2018-19	श्री प्रेम प्रताप सिंह पुत्र श्री रूप सिंह	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 14.02.2022 निर्गत।	-	-	-	-
42	111/2018-19	श्री गुलाब सिंह यादव	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 29.03.2019 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दि० 21.08.2021 जारी।	-	-	-	-
43	112/2018-19	श्रीमती उषा पाठक पत्नी श्री ओमकान्त पाठक	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 05.01.2019 निर्गत।	-	-	-	-
44	113/2018-19	श्री संतोष कुमार वर्मा	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 24.12.2019 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दि० 21.08.2021 जारी।	-	-	-	मा० उच्च न्यायालय में वाद विचारधीन
45	114/2018-19	श्रीमती जयदेवी पत्नी श्री हरिचम	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 29.03.2019 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दि० 21.08.2021 जारी।	अपील लम्बित	-	-	-
46	115/2018-19	श्री बजरंग दास पाठक पुत्र श्री रघुवीर दास पाठक	819/137.45 वर्गमीटर	24.09.2009	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 05.08.2021 निर्गत।	अपील लम्बित दि०-07.03.2022	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुन सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 25.01.2022 निर्गत।	मा० उच्च न्यायालय में वाद विचारधीन
47	116/2018-19	श्रीमती सावित्री तिचारि	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 29.03.2019 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दि० 21.08.2021 जारी।	-	-	-	-
48	117/2018-19	श्रीमती ममता देवी वर्मा	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 08.01.2019 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दि० 21.08.2021 जारी।	अपील लम्बित	-	-	-
49	118/2018-19	श्रीमती प्रीती वर्मा	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 04.08.2021 निर्गत।	-	-	-	-
50	120/2018-19	श्रीमती स्नेहला पाल पत्नी श्री संतराम पाल	849, 823/55.76 वर्गमीटर	11.02.2014	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 02.09.2021 निर्गत।	-	-	-	-
51	121/2018-19	श्रीमती रामप्यारी देवी पत्नी श्री धनश्याम दास बसू	849/169.29 वर्गमीटर	10.03.2010	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 14.02.2022 निर्गत।	-	-	-	-
52	122/2018-19	श्रीमती मन्नु देवी पत्नी श्री बालराम	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 14.02.2022 निर्गत।	-	-	-	-
53	123/2018-19	श्रीमती रामश्री यादव पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह यादव	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 29.03.2019 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दिनांक 21.08.2021 जारी।	-	-	-	-

List of illegal construction on private Land and details of action taken (2017 to 2021)

54	124/2018-19	श्रीमती फूलकुंवर पत्नी श्री काशीराम	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 29.03.2019 जारी। उपरान्त अंतिम नोटिस दि० 21.08.2021 जारी।	-	-	-	-
55	125/2018-19	श्री अशोक पाल पुत्र श्री सोनाराम पाल	823/82.84 वर्गमीटर	13.11.2013	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 05.08.2021 जारी।	-	-	-	-
56	126/2018-19	श्रीमती जयन्ती देवी पत्नी श्री अरविन्द कुमार	843/83.64 वर्गमीटर	27.03.2015	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 21.08.2021 निर्गत।	-	-	-	-
57	127/2018-19	श्रीमती बबिता पत्नी श्री रामकान्त	843/116.17 वर्गमीटर	27.05.2016	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 05.08.2021 जारी।	-	-	-	-
58	128/2018-19	श्री जयकुंवर पत्नी श्री हरचरण राजपूत	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 29.03.2019 निर्गत। उपरान्त अंतिम नोटिस दि० 21.08.2021 जारी।	-	-	-	-
59	129/2018-19	श्री परितराज पुत्र श्री रमईराम	741/116.17 वर्गमीटर	19.09.2002	ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 29.03.2019 निर्गत। उपरान्त अंतिम नोटिस दि० 02.09.2019 जारी।	अपील लम्बित	-	-	-
60	130/2018-19	मा० रफीक अहमद पुत्र श्री मुन्ना खान	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 05.08.2021 निर्गत।	अपील लम्बित	-	-	-
61	131/2018-19	श्रीमती प्रकाश रानी पत्नी श्री सल्लू कुशवाहा	740/113.85 वर्गमीटर	11.09.2013	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 05.08.2021 निर्गत।	अपील लम्बित दि० 14.02.2022	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 24.01.2022 निर्गत।	-
62	132/2018-19	श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री कृष्ण विहारी दुदे	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 21.08.2021 निर्गत।	-	-	-	मा० उच्च न्यायालय में वाद विचारधीन
63	133/2018-19	श्रीमती सुमन पत्नी श्री फंजाब सिंह	739/139.40 वर्गमीटर	22.08.2012	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 11.08.2021 निर्गत।	अपील लम्बित दि०-05.03.2022	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 25.01.2022 निर्गत।	मा० उच्च न्यायालय में वाद विचारधीन
64	135/2018-19	श्रीमती मैवावती पत्नी श्री रामसेवक पाल	853/111.52 वर्गमीटर	07.09.2011	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 05.08.2021 निर्गत।	अपील लम्बित	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 25.01.2022 निर्गत।	-
65	144/2018-19	श्रीमती आशा पत्नी श्री कैलाश चर्मा	641/58.08 वर्गमीटर	14.11.2007	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 11.02.2022 निर्गत।	-	-	-	-
66	145/2018-19	श्री राजीव राजपूत एवं श्रीमती रानी राजपूत पत्नी श्री राजीव राजपूत	752/134.76 वर्गमीटर	22.12.2009	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 11.08.2021 निर्गत।	अपील लम्बित	आदेश 11.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 25.01.2022 निर्गत।	-
67	146/2018-19	श्री अशुत शुक्ला पुत्र श्री अशोक शुक्ला	821/86.52 वर्गमीटर	02.08.2010	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 17.02.2022 जारी।	-	-	-	-
68	147/2018-19	श्री हरगोविन्द प्रजापति	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि० 26.02.2022 जारी।	-	-	-	-

List of illegal construction on private Land and details of action taken (2017 to 2021)

69	148/2018-19	श्री प्रकाश नारायण यादव पुत्र श्री विश्व प्रताप	-	-	धरतीकरण आदेश दि० 13.08.2021 जारी।	-	-	-	-
70	149/2018-19	श्रीमती गीता द्विवेदी पत्नी श्री रंजित चन्द	754/167.28 वर्गमीटर	10.12.2014	धरतीकरण आदेश दि० 4.08.2021 निर्गत	अपील लम्बित दि०-07.03.2022	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी। मा० उच्च न्यायालय में याद विचारधीन	धरतीकरण आदेश दि० 24.01.2022 निर्गत।	मा० उच्च न्यायालय में याद विचारधीन
71	150/2018-19	श्री पंकज निरंजन	-	-	धरतीकरण आदेश दि० 13.08.2021 जारी।	अपील लम्बित	-	-	-
72	151/2018-20	श्री कृष्ण कुमार पाठक (के०के० पाठक)	752/134.76 वर्गमीटर	22.12.2009	धरतीकरण आदेश दि० 14.02.2022 जारी।	-	-	-	मा० उच्च न्यायालय में याद विचारधीन
73	152/2018-19	श्री अनन्द मोहन मिश्रा एवं श्रीमती शालिनी मिश्रा पत्नी श्री अनन्द मोहन	752/134.76 वर्गमीटर	21.12.2009	धरतीकरण आदेश दि० 11.08.2021 निर्गत	-	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	धरतीकरण आदेश दि० 24.01.2022 निर्गत।	मा० उच्च न्यायालय में याद विचारधीन
74	153/2018-19	श्री काशीप्रसाद शिषी	-	-	धरतीकरण आदेश दि० 13.08.2021 निर्गत	अपील लम्बित	-	-	-
75	154/2018-19	श्री अमित राय पुत्र श्री अमित राय	-	-	धरतीकरण आदेश दि० 02.09.2021 निर्गत।	-	-	-	-
76	155/2018-19	श्री जगतराज यादव	752/161.71 वर्गमीटर	21.12.2009	धरतीकरण आदेश दि० 13.08.2021 निर्गत	-	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	धरतीकरण आदेश दि० 24.01.2022 निर्गत।	मा० उच्च न्यायालय में याद विचारधीन
77	156/2018-19	श्रीमती आरमा देवी पत्नी श्री जितेन्द्र प्रजापति	-	-	धरतीकरण आदेश दि० 14.02.2022 निर्गत	-	-	-	-
78	157/2018-19	श्रीमती भागीलक्ष्मी पत्नी श्री अमि प्रकाश	-	-	धरतीकरण आदेश दि० 18.12.2018 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दिनांक 21.08.2021 जारी।	-	-	-	-
79	158/2018-19	श्रीमती आशालता राजभूत	752/167.28 वर्गमीटर	24.06.2019	धरतीकरण आदेश दि० 13.08.2021 निर्गत	अपील लम्बित	-	-	-
80	159/2018-19	श्री भूरलाल पुत्र श्री बालजी पास	823/92.94 वर्गमीटर	13.11.2013	धरतीकरण आदेश दि० 13.08.2021 जारी।	-	-	-	-
81	160/2018-19	श्रीमती लली देवी पत्नी श्री कन्हैया सात	-	-	धरतीकरण आदेश दि० 14.02.2022 जारी।	-	-	-	-
82	161/2018-19	श्रीमती रानी पत्नी श्री बन्धीलाल	-	-	धरतीकरण आदेश दि० 14.02.2022 जारी।	-	-	-	-
83	162/2018-19	श्रीमती संजु सितातिया पत्नी सच० श्री हरीशचन्द्र	-	-	धरतीकरण आदेश दि० 13.08.2021 जारी।	अपील लम्बित	-	-	-
84	163/2018-19	श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री रामप्रताप टैगोर	-	-	धरतीकरण आदेश दि० 04.08.2021 जारी।	अपील लम्बित	-	-	-

List of illegal construction on private Land and details of action taken (2017 to 2021)

85	164/2018-19	श्री दीपक कुमार यादव पुत्र श्री धनराज यादव	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि 29.03.2019 निर्गत उपरान्त अन्तिम नोटिस दि 21.08.2021 जारी।	-	-	-	-
86	199/2018-19	श्रीमती सुनीता रानी पत्नी श्री रामनारायण शर्मा	826/223.04 वर्गमीटर	11.09.2009	ध्वस्तीकरण आदेश दि 30.07.2021 जारी।	अपील लम्बित दि 10.03.2022	आदेश 26.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	ध्वस्तीकरण आदेश दि 24.01.2022 निर्गत।	मा 0 उच्च न्यायालय में वाद विचारणीय
87	200/2018-19	श्रीमती कान्ती देवी	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि 18.08.2021 निर्गत	अपील लम्बित	-	-	मा 0 उच्च न्यायालय में वाद विचारणीय
88	248/2018-19	श्रीमती रामगुप्त पाण्डेय पत्नी स्व. श्री रमेशचंद्र	827/334.57 वर्गमीटर	21.05.2021	ध्वस्तीकरण आदेश दि 30.07.2021 निर्गत।	-	-	निर्माण कार्य इटया गया।	-
89	255/2018-19	श्री मुन्ना कुशवाहा एवं श्री नरेंद्र कुशवाहा	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि 17.08.2021 निर्गत।	अपील लम्बित	-	-	-
90	260/2018-19	श्री वन सिंह आदि	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि 17.02.2022 जारी।	-	-	-	-
91	04/2019-20	श्री रामशरण व श्री अन्नू	820/75.26 वर्गमीटर	26.09.2009	ध्वस्तीकरण आदेश दि 30.07.2021 जारी।	अपील लम्बित	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	ध्वस्तीकरण आदेश दि 28.01.2022 निर्गत।	मा 0 उच्च न्यायालय में वाद विचारणीय
92	30/2019-20	श्री नैशत यादव	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि 16.08.2021 जारी।	-	-	-	-
93	105/2019-20	श्री अजय रायचंदर पुत्र स्व. श्री मोतीलाल रायचंदर	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि 03.09.2019 जारी।	-	-	-	-
94	108/2019-20	श्री शिव कुमार शिवारी पुत्र स्व. श्री हजारी लाल	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि 29.08.2019 जारी।	-	-	-	-
95	133/2019-20	श्री हबीब अहमद पुत्र श्री हाजी मोहम्मद	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि 10.01.2020 जारी।	-	-	-	-
96	137/2019-20	श्री रंजित सिंह पुत्र श्री कैलाश नारायण शिवारी	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि 20.02.2020 जारी।	-	-	-	-
97	182/2019-20	श्री विनय वाल्मीकि पुत्र स्व. श्री विजय वाल्मीकि	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि 16.08.2021 जारी।	अपील लम्बित	-	-	-
98	183/2019-20	श्री अशोक कुशवाहा पुत्र श्री गोविन्द दास एवं श्री इन्दु कुशवाहा पुत्र श्री चन्दमान कुशवाहा	-	-	ध्वस्तीकरण आदेश दि 16.08.2021 जारी।	अपील लम्बित	-	-	-
99	249/2019-20	श्री सतीश गुप्ता पुत्र श्री नारायण दास गुप्ता	820/161.71 वर्गमीटर	03.02.2010	ध्वस्तीकरण आदेश दि 30.07.2021 जारी।	अपील लम्बित दि 02.03.2022	आदेश 25.08.2021 द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी।	ध्वस्तीकरण आदेश दि 24.01.2022 निर्गत।	मा 0 उच्च न्यायालय में वाद विचारणीय

List of illegal construction on private Land and details of action taken (2017 to 2021)

100	254/2019-20	श्रीमती रजनी शयकवार पत्नी श्री अजय शयकवार	-	-	धरतीकरण आदेश दि० 16.08.2021 जारी।	-	-	-	-
101	255/2019-20	श्री विवेक सरदार पुत्र श्री उत्तम सिंह	-	-	धरतीकरण आदेश दि० 30.07.2021 जारी।	अपील लम्बित	-	-	मा० उच्च न्यायालय में वाद विचारधीन
102	288/2019-20	श्रीमती मोरा देवी पत्नी श्री अश्वकिशोर	-	-	धरतीकरण आदेश दि० 11.08.2021 जारी।	-	-	-	-
103	09-सचिव/2020-21	श्री धनीराम कुशवाहा	844/130.11 वर्गमीटर	13.02.2009	धरतीकरण आदेश दि० 17.02.2022 जारी।	अपील लम्बित दि०-05.03.2022	-	-	-
104	17-सचिव/2020-21	श्रीमती रेखा श्रीवत्सव पत्नी श्री महेंद्र श्रीवत्सव	-	-	धरतीकरण आदेश दि० 26.02.2022 जारी।	अपील लम्बित दि०-10.03.2022	-	-	-
105	18-सचिव/2020-21	श्रीमती मनोरी पुत्र श्री मुग्धा लाल कुशवाहा	-	-	धरतीकरण आदेश दि० 14.02.2022 जारी।	-	-	-	-
106	220-सचिव/2020-21	श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री गोरीशंकर	752/222.96 वर्गमीटर	28.01.2022	धरतीकरण आदेश दि० 28.01.2022 जारी।	-	-	-	मा० उच्च न्यायालय में वाद विचारधीन
107	09-सचिव/2021-22	श्रीमती कमा दुहे पत्नी श्री मोहन दुहे	-	-	धरतीकरण आदेश दि० 04.02.2022 जारी।	अपील लम्बित दि०-25.02.2022	-	-	-
108	69-सचिव/2021-22	श्री विवेक सिंह पुत्र श्री श्यामलाल	-	-	धरतीकरण आदेश दि० 10.02.2022 जारी।	-	-	-	-
109	60-सचिव/2021-22	श्री सोहित सिंह पुत्र श्री कोमल सिंह	-	-	धरतीकरण आदेश दि० 11.02.2022 जारी।	अपील दिनांक 22.03.2022	-	-	-
110	61-सचिव/2021-22	श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री वैलेन्द्र सिंह	-	-	धरतीकरण आदेश दि० 11.02.2022 जारी।	अपील लम्बित दि०-05.03.2022	-	-	-
111	62-सचिव/2021-22	श्री बृजेन्द्र केवट (सर) पुत्र श्री भगवान दास	-	-	धरतीकरण आदेश दि० 11.02.2022 जारी।	अपील लम्बित दि०-21.02.2022	-	-	-
112	64-सचिव/2021-22	श्री गोविन्द दास प्रजापति पुत्र श्री सुनसुन प्रजापति	724, 747, 748, 749, 751/0.404 हे०	30.03.2002	धरतीकरण आदेश दि० 26.02.2022 जारी।	-	-	-	-
113	123-सचिव/2021-22	श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री भगवान दास	839/89.40 वर्गमीटर	27.12.2008	धरतीकरण आदेश दि० 03.02.2022 जारी।	अपील लम्बित दि०-10.02.2022	-	-	मा० उच्च न्यायालय में वाद विचारधीन
114	151-सचिव/2021-22	श्री हरीदास कुशवाहा पुत्र श्री भगवान दास	लेख प्रपत्र सं०-36 नकल नं०-870/2000	05.09.2000	धरतीकरण आदेश दि० 26.02.2022 जारी।	-	-	-	मा० उच्च न्यायालय में वाद विचारधीन
115	152-सचिव/2021-22	श्रीमती शीला कुशवाहा	-	-	धरतीकरण आदेश दि० 26.02.2022 जारी।	-	-	-	मा० उच्च न्यायालय में वाद विचारधीन

Photographs of signage to informing people not to purchase Land in city Park area near Laxmital



Photographs of signage to informing people not to purchase Land in city Park area near Laxmital



Photographs of signage to informing people not to purchase Land in city Park area near Laxmital



Photographs of signage to informing people not to purchase Land in city Park area near Laxmital



Photographs of signage to informing people not to purchase Land in city Park area near Laxmital



Photographs of signage to informing people not to purchase Land in city Park area near Laxmital



Report of A.I.G. Stamp and Registration, Jhansi showing compliance of instructions regarding open Land Parks etc.

1,
प्रेषक,
सेवा में,
पत्र सं० 211
विषय
महोदय,

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
जनपद झाँसी ।
उपाध्यक्ष
झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी ।
/स०म०नि०- निरीक्षण (2021-22) दिनांक - 29.3.2022
मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधानपीठ, दिल्ली द्वारा पारित आदेश
दिनांक 19.12.2018 का शत प्रतिशत अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में
।

कृपया उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में अवगत कराना है कि
अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यालय उप निबन्धक झाँसी सदर प्रथम व द्वितीय में
निबंधित हस्तान्तरण लेखपत्रों का अवलोकन किया । अवलोकन में यह
पाया गया कि कार्यालयों द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधानपीठ,
दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2018 के निर्देश के अनुपालन के
अनुक्रम में झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये गाटा नम्बरों की
सूची से सम्बंधित भूमि के सम्बन्ध में लेखपत्रों में अग्रांकित तथ्य यथा
प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, कीडास्थल, महायोजना मार्ग
भू-उपयोग आदि की भूमि न होने के सम्बंध पक्षकारों के द्वारा लेखपत्र में
घोषणा की जा रही है । भविष्य में पंजीकृत होने वाले लेखपत्रों के सम्बन्ध
में सतत निगरानी बनायी रखी जायेगी ।


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
झाँसी ।

Report of A.I.G. Stamp and Registration, Jhansi showing compliance of instructions regarding open Land Parks etc.

प्रेषक,
उप निबन्धक
झॉसी सदर प्रथम व द्वितीय।

सेवा में,
उपाध्यक्ष
झॉसी विकास प्राधिकरण झॉसी ।


पत्र सं० ५६७/एस०आर०प्रथम- विविध (2021-22) दिनोंक 29-3-22

विषय
मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधानपीठ, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनोंक 19.12.2018 का शत प्रतिशत अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्यालय उप निबन्धक झॉसी सदर प्रथम व द्वितीय में निबंधित हस्तान्तरण लेखपत्रों में मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधानपीठ, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनोंक 19.12.2018 के निर्देश के अनुपालन के अनुक्रम में झॉसी विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये गाटा नम्बरों की सूची से सम्बंधित भूमि के सम्बन्ध में लेखपत्रों में अग्रांकित तथ्य यथा प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, क्रीडास्थल, महायोजना मार्ग भू-उपयोग आदि की भूमि न होने के सम्बंध पक्षकारों के द्वारा लेखपत्र में घोषणा की जा रही है । कार्यालय द्वारा मा० न्यायालय के निर्देश को शत प्रतिशत अनुपालन किया जा रहा है एवं भविष्य में किया जाता रहेगा ।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


उप निबन्धक
झॉसी सदर, प्रथम/द्वितीय
29/3/22

प्रतिलिपि-
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन झॉसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उप निबन्धक
झॉसी सदर, प्रथम/द्वितीय

Report of A.I.G. Stamp and Registration, Jhansi showing compliance of instructions regarding open Land Parks etc.

1341

Handwritten notes:
 29/3/2022
 NEJA

प्रेषक, उप निबंधक
 झांसी सदर प्रथम/द्वितीय।

सेवा में, उपाध्यक्ष,
 झांसी विकास प्राधिकरण झांसी।

पत्रांक 46A(1)/एस0आर0 विविध- 2021-22 दिनांक
 विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधानपीठ, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2018 का शत प्रतिशत अनुपालन किये जाने के सम्बंध में।

महोदय, कृपया उपरोक्त विषयक सम्बंध में अवगत कराना है कि कार्यालय उप निबंधक झांसी सदर प्रथम व द्वितीय में निबंधित हस्तान्तरण लेखपत्रों में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधानपीठ, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2018 के अनुक्रम में कार्यालयों द्वारा बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत् है-

क्र0 सं0	बिन्दु	अनुपालन
1	गाटा संख्या, ग्राम तहसील तथा जनपद का नाम अंकित किया जायें।	अनुपालन किया जा रहा है।
2	झांसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में महायोजना-2021 में सम्मिलित होने की दशा में विकास प्राधिकरण झांसी क्षेत्र का नाम अंकित किया जायें।	अनुपालन किया जा रहा है।
3	सम्बंधित भूमि का गाटा संख्या का महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोग पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, कीडा स्थल तथा महायोजना मार्ग होने की दशा में भू-उपयोग का अनिवार्य रूप से अंकन किया जायें।	अनुपालन किया जा रहा है।
4	उक्त प्रस्तर 'ग' में उल्लिखित भू-उपयोग के विरुद्ध निर्माण किये जाने की दशा में ध्वस्तीकरण सहित समस्त विधिक कार्यवाही हेतु केता उत्तरदायी होगा की सहमति अनिवार्य रूप से अंकित की जायें।	अनुपालन किया जा रहा है।

अतः उक्त बिन्दुओं के सम्बंध में दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन किया जा रहा है।
 सूचना सादर प्रेषित।

Handwritten signature and date:
 29/3/22
 उप निबंधक
 झांसी सदर प्रथम

Handwritten signature and date:
 29/3/2022
 उप निबंधक
 झांसी सदर द्वितीय

प्रतिलिपि- सहायक महानिरीक्षक निबंधन झांसी को सूचनार्थ प्रेषित।

उप निबंधक
 झांसी सदर प्रथम

उप निबंधक
 झांसी सदर द्वितीय

Report of A.I.G. Stamp and Registration, Jhansi showing compliance of instructions regarding open Land Parks etc.

1342

प्रेषक,

सहायक महानिरीक्षक निबंधन
झांसी।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
झांसी विकास प्राधिकरण झांसी।

Intine
Jhar
Camp
19/3/22
Jhar

पत्रांक 211(1)/एस0आर0 विविध- 2021-22

दिनांक 29/3/22

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण प्रधानपीठ, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2018 का शत प्रतिशत अनुपालन किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सम्बंध में अवगत कराना है कि कार्यालय उप निबंधक झांसी सदर प्रथम व द्वितीय के पत्र संख्या 46 (ए-1)/एस0आर0/ दिनांक 29.03.2022 में अवगत कराया गया है कि कार्यालयों द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण प्रधानपीठ, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2018 का अनुपालन बिन्दुवार रूप से किया जा रहा है। उक्त पत्र के अलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उप निबंधक कार्यालय सदर के कुल लेखपत्रों का अवलोकन किया जिसमें पाया गया कि उप निबंधको द्वारा बताई गयी सूचना तथ्यात्मक रूप से सही है, जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र0 सं0	बिन्दु	अनुपालन
1	गाटा संख्या, ग्राम तहसील तथा जनपद का नाम अंकित किया जायें।	अनुपालन किया जा रहा है।
2	झांसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में महायोजना-2021 में सम्मिलित होने की दशा में विकास प्राधिकरण झांसी क्षेत्र का नाम अंकित किया जायें।	अनुपालन किया जा रहा है।
3	सम्बंधित भूमि का गाटा संख्या का महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोग पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, क्रीडा स्थल तथा महायोजना मार्ग होने की दशा में भू-उपयोग का अनिवार्य रूप से अंकन किया जायें।	अनुपालन किया जा रहा है।
4	उक्त प्रस्तर 'ग' में उल्लिखित भू-उपयोग के विरुद्ध निर्माण किये जाने की दशा में ध्वस्तीकरण सहित समस्त विधिक कार्यवाही हेतु कंता उत्तरदायी होगा की सहमति अनिवार्य रूप से अंकित की जायें।	अनुपालन किया जा रहा है।

अतः कार्यालय में निबंधित लेखपत्रों के यादृच्छिक रूप से (रेन्डम) किये गये निरीक्षण किया गया एवं पाया गया कि उप निबंधको द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण प्रधानपीठ, दिल्ली दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।


 सहायक महानिरीक्षक निबंधन
 झांसी।